**आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2025 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक की कार्यवाही :–**

उपस्थिति :–

1. राजीव रौशन, आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा
2. श्री अनिल कुमार राय, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।
3. श्री मुकेश कुमार, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), सारण, छपरा – सदस्य।

**विशेष आमंत्रित सदस्य–**

जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज (VC के माध्यम से)

**कार्यवाहीः–**

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा उपस्थित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. विगत बैठक दिनांक–29.08.2025 की कार्यवाही का अनुपालन हेतु निदेश दिया गया।

3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा–76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सके।

**माह–सितम्बर, 2025 एवं माह–नवम्बर, 2025** में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु क्रमशः 39 एवं 02 यानि **कुल–41** नये आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों पर विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या–3(i) परिशिष्ट–II पर दर्ज है।

| इस बैठक हेतु प्राप्त आवेदन की विवरणी | | | | | | पूर्व से लंबित आवेदन की विवरणी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल आवेदन | स्वीकृत | संशोधित स्वीकृत | अस्वीकृत | आवेदन वापस | लंबित आवेदन | पूर्व से कुल लंबित | स्वीकृत | अस्वीकृत |
| **41** | **30** | **03** | **04** | **04** | 00 | 00 | – | – |

प्राधिकार का निर्णय परिशिष्ट–I से III पर, पृष्ठ संख्या–01 से 37 तक कुल–37 पन्नो में सलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :–

| क्रमांक | परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक | विषय |
|---|---|---|
| 1 | सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दि0 6.04.2018 | वाहनों के अधिकतम गति सीमा के सबंध में। |
| 2 | परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति। |
| 3 | उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021 | राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के लिए निर्देश। |
| 4 | बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985 | राष्ट्रीयकृत मार्गो पर परिचालन के संबध मे। |
| 5 | विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991 | राष्ट्रीयकृत मार्गो पर परिचालन के संबध मे। |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021 | शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में |
| 7 | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023 | वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में। |
| 8 | सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–7695, दिनांक–13.05.2024 | बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में। |
| 9 | परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022 | सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्यता के संबंध में। |
| 10 | सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 | सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में। |
| 11 | सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1557 दिनांक 07.03.2022 | सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में। |
| 12 | सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 4156 दिनांक 01.06.2023 | सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में। |

5. दो वाहनों के प्रस्थान समय में न्यूनतम अन्तराल :– प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 में विचार–विमर्श करने के उपरांत यात्रीगणों की सुविधा, परमिट हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या, बस पड़ाव में भीड़–भाड़ व वाहन स्वामियों के अनुरोध एवं सुझाव तथा अन्य निकटतम प्राधिकारों की पॉलिसी इत्यादि को देखते हुए **इसमें निम्न कंडिका "क" एवं "ख" के अनुरूप संशोधन किया गया, जिसे यथावत् रखते हुए प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में कंडिका "ग" एवं "घ" जोड़कर इसे और अधिक स्पष्ट किया गया, ताकि समय–अंतराल के किसी बिंदु पर संशय की स्थिति नहीं रहे, जो निम्नवत है :–**

**(क) प्रारम्भिक / मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:–**

(i) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पूर्व (Before) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय के बाद (After) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

**(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:–** किसी मार्ग के मध्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में अन्तराल (पहले या बाद में) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का अनुमान्य होगा।

**(ग) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में समय–अंतराल:–**

**(i)** पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिन्दु (*किसी एक तरफ से भी*) समान होने की स्थिति में नये आवेदनों के शिवाय समय–अंतराल का उपरोक्त कंडिका–**(क)** एवं **(ख)** के प्रावधान लागू होंगे।

**(ii)** पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का प्रारंभिक बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय–अंतराल पहले (Before) न्यूनतम 05 मिनट तथा बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।

**(iii)** पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिन्दु होने की स्थिति में समय–अंतराल पहले (Before) या बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।

**(घ)** मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में समय–अंतराल संबंधी उपरोक्त कंडिका **(क)**,**(ख) एवं (ग)** के प्रावधान लागू/मान्य नहीं होंगे।

प्राप्त आवेदन एवं आपत्तियों के सुनवाई के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय आवेदकों द्वारा उक्त समय अन्तराल का अनुपालन किये बगैर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, जिस कारण उनके समय–सारणी में ट्रिप कटाव/बाईपास करते हुए परमिट पर विचार किया जाता है। इस बिन्दु पर कई आवेदको द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिस वाहन के समय–सारणी से उनके आवेदित समय–सारणी का टकराव हो रहा है वह वाहन भी उनकी है अथवा उनके बैनर के अंतर्गत चलने वाली वाहन है। साथ ही कभी यह भी कहा जाता है कि जिनके वाहन के परमिट से समय का टकराव हो रहा है उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं इस तर्क के साथ परमिट हेतु अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ***उक्त मामला टाईम स्लॉट का है। परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु बस को दी जाती है न कि किसी व्यक्ति को***। चूँकि प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामियों द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार अपने बैनर के अंतर्गत चार–पॉच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से एक–दो वाहनों का हीं परिचालन किया जाता है। शेष वाहनों को अन्यत्र स्थानों यथा–विद्यालय, आदि में संचालित किया जाता है तथा यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐसे टाईम स्लॉट का प्रावधान लागू किया गया है। ***यह टाईम स्लॉट सभी पर सामान रूप से लागू होगा, चाहे समय का टकराव खुद की वाहन से ही क्यों न हो रहा हो।***

**6 (i) <u>उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ–पहले पाओ (FIFO)</u>** :– जिन वाहन स्वामियों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया का पालन कर प्राधिकार के आगामी बैठक में आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 28.10.2024 से **"पहले आओ–पहले पाओ"** का नियम लागू किया गया है, जिसके आधार पर **ऑनलाईन आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार (Server time के अनुसार)** विचार किया जाएगा।

**(ii) <u>Overlapping of Route</u>:-** मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आते रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग पर परमिट धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध किया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 में निर्णय लिया गया था कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक–दूसरे को आच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए नियमानुसार परमिट निर्गमण की कार्रवाई की जायेगी तथा **जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो एवं समय का टकराव पूर्व के परमिट से आच्छादित वाहन से हो रहा हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए आपति के आलोक में नियमानुसार ट्रिप कटाव/बाईपास कर परमिट निर्गमण के बिंदु पर विचार की जायेगी।**

**(iii) <u>बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना</u>** :– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7695, दिनांक–13.05.2024 के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत् बसों के दोनों तरफ **परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राईवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।**

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक–10.09.2024 की कार्यवाही में सभी बस मालिकों को उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया था।

साथ हीं समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक–20.09.2024 के अंक में एवं तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र हिन्दुस्तान व प्रभात खबर के दिनांक–10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अपने बसों के दोनों तरफ **(a) परमिटधारी का नाम एवं पता (b) परमिट संख्या एवं वैधता (c) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (d) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर** अनिवार्य रूप से अंकित करा लेने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः सभी बस मालिकों को पुनः निदेशित किया गया कि वे अपने बसों के दोनों तरफ उपरोक्त सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करा लें अन्यथा पकडे जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ–साथ नियमानुसार परमिट निलंबन/रद्द करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया जायेगा।

**इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।**

(अनुपालनः सभी DTO, सारण प्रमंडलन्तर्गत/सभी परमिटधारी)

**(iv)** <u>**सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना**</u>:– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD **(Vehicle Location Tracking Device)** स्थापित एवं सक्रिय कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ***परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022 द्वारा*** VLTD ***स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177, 179 एवं धारा–190(2) का उल्लंघन माना जायेगा एवं तद्नुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी***। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक–30.11.2024 हेतु मिश्रा–बन्धु बैनर के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं उसपर प्राप्त आपत्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में निबंधित कई बसों का उल्लेख किया गया था, जिसके सुनवाई के क्रम में पाया गया कि उन बसों में VLTD स्थापित नहीं है। इस बिंदु पर पृच्छा किये जाने पर मिश्रा बन्धु बस सेवा के स्वामी एवं अन्य उपस्थित पक्षों द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं है।

इस बिंदु पर सभी वाहन स्वामियों को संबोधित करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि भले हीं किसी राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं हो, परन्तु यह बिहार राज्य मे अनिवार्य किया गया है। इसलिए इस प्राधिकार के क्षेत्र अंतर्गत यदि किसी अन्य राज्य से निर्गत परमिट पर वाहन का परिचालन किया जाता है, तो उस वाहन में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य है। अन्यथा **परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022 का उल्लंघन माना जायेगा एवं तद्नुसार संबंधित वाहन के विरूद्व कार्रवाई की जा सकेगी।**

यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 के कार्यवाही मे एवं समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक–20.09.2024 के अंक में तथा तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" व "प्रभात खबर" के दिनांक–10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अनुपालन हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही प्रधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है।

प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.05.2025 के लिए प्राप्त आपत्ति के आलोक में वाहन सं0- BR06PF-5542, BR05PB-8293 एव BR05PB-8073 का VLTD जाँच में पाया गया कि उक्त तीनों वाहनो मे VLTD अधिष्ठापित एवं सक्रिय तो है, परन्तु उसका डाटा VLTD कंट्रोल रूम को आज तक नहीं भेजा गया है या पिछले कई माहों से नहीं भेजा रहा है, जो परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1557, दि0–07.03.2022 एवं पत्रांक–4156, दि0–01.06.2023 में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया गया एवं ***सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया है कि वे नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे कि उनके वाहन में अधिष्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। ऐसा नहीं होने पर उनकी जानबूझकर लापरवाही मानते हुए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी।***

अतएव सभी बस मालिकों को पुनः निदेश दिया गया कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाहन में अधिष्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। VLTD स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर नियमानुसार परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

**सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों का VLTD की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।**

**(v)** वाहन की आयु के अनुसार **प्रतिदिन** दूरी :–

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :–

| **क्र0 सं0** | **बस की आयु (वर्ष में)** | प्रतिदिन अधिकतम **परिचालन (कि0मी0 में)** |
|---|---|---|
| 1 | 0–5 | असीमित |
| 2 | 5–10 | 600 |
| 3 | 10–15 | 400 |
| 4 | 15 से ऊपर | 100 |

**उल्लेखनीय है कि** विभागीय वाहन पोर्टल पर जाँच के क्रम मे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्गत परमिट वाले बसों में से ऐसे 60 बसों, जिनकी आयु **15 वर्ष** से अधिक हो गई थी एवं उनके पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक था, को ससमय प्रतिस्थापन नहीं कराने की स्थिति में दिनांक 10.05.2025 को तत्काल प्रभाव से उनके परमिट को रद्द कर टाईम स्लॉट मुक्त (Free) कर दिया गया था।

अतः सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। **जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रहा हो** एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का **परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक हो**, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद

परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। **ध्यान रहे कि परिवहन विभाग के पोर्टल पर अंकित दूरी को ही वास्तविक दूरी मानी जायेगी।**

**(iv) गति सीमा** :–

**(क) गति सीमा का पालन** :– सभी आवेदक/वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ–पत्र **(अनुलग्नक–1)** में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए यह स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे कि **आवेदित वाहन के समय–सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है एवं समय–सारणी में दो क्रमागत बस पडाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो।** इससे आपत्तिकर्त्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कडिका–9(i)(m) मे अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

**(ख) न्यूनतम गति सीमा का पालन** :–कतिपय बस मालिकों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बसों का परिचालन किया जाता है एवं उसी के अनुरूप समय–सारणी का प्रकाशन कराया जाता है। बसों का काफी धीमी गति से परिचालन करने से यात्रियों को असुविधा होने की संभावना से इनकार नही किया जा सकता। चूँकि यात्रीगण को पूर्व से यह पता नहीं होता है कि अमूक बस कितने समय में उनके गंतव्य स्थान तक पहूँचेगी। बस में बैठने के पश्चात् उनको पता चलता है कि इस बस का परिचालन काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिससे उनको अपने किसी कार्य हेतु निर्धारित समय अवधि पर पहुँचने मे विलब होने के साथ–साथ अन्य कई तरह की परेशानियो का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर ऐसी स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए प्राधिकार द्वारा बसों की न्यूनतम गति सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:–

1. **MMPPY बस**:– **10 कि०मी०/घंटा**
2. **सामान्य बस**:– **20 कि०मी०/घंटा**

नोटः– **(1)** ***सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओ के मध्य दूरी 5 कि०मी० या उससे कम हो तब उस पड़ाव बिंदुओं के मध्य न्यूनतम गति सीमा 15 कि०मी०/घंटा अनुमान्य किया जा सकेगा।***

**(2)** ***सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओ के मध्य आम तौर काफी भीड–भाड रहती हो या उस सडक की स्थिति के अनुसार 20 कि०मी०/घंटा से अधिक तेज चलाने पर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में 20 कि०मी०/घंटा से कम गति होने पर भी प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में 15 कि०मी०/घंटा से कम गति होने पर विचार नहीं किया जायेगा।***

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक–30.11.2024 में कतिपय वाहन स्वामियों का आवेदन समय अतराल त्रुटिपूर्ण भरे जाने के कारण अस्वीकृत हो गया था। क्योकि समय अतराल मे सुधार करने के पश्चात पाया गया कि कतिपय आवेदनों के समय–सारणी मे अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा का उल्लघन हो रहा है। इस क्रम मे आयुक्त–सह–अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा **दिनांक–03.12.2024** को उपस्थित वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजन किया गया, जिसमे समय अतराल को सही तरीके से भरने एव आवेदन के साथ आवश्यक कागजातो को सलग्न करने, आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दी गयी। इसके बावजूद भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा **समय अंतराल को सही तरीके से नहीं अंकित किया जा रहा है, जिससे सुधार करने के पश्चात् पाया जा रहा है कि**

**आवेदित समय–सारणी में या तो अधिकतम गति सीमा का या फिर न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है।** दोनों ही स्थिति में उनके आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं।

अतः वाहन स्वामियो को निदेशित किया जाता है कि यदि गति सीमा के संबंध में **तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा** एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध भी नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

7. **आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं, जिसकी जानकारी विस्तार से दी जा रही है:–**

(i) परमिट हेतु निर्णय **सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर** लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति/भिन्नता, विशेष कर पोर्टल में दर्ज समय–सारणी एवं हार्ड कॉपी में दर्ज समय–सारणी में विसंगति/भिन्नता पाये जाने पर परमिट हेतु दी गई स्वीकृति को अस्वीकृत माना जायेगा एवं नियमानुसार आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।

(ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु **सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाती है**, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगमता से प्राप्त हो सके, यथा–मार्गवार सभी बसों की समय–सारणी, बैठक की सूचना, ऐजेण्डा, बैठक की कार्यवाही इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का **Sample** भी वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।

(iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात् निर्गत **परमिट आवेदक के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाती है।** साथ ही निबंधित डाक पावती को परमिट के कार्यालय प्रति पर रख कर उसे **Scan** किया जाता है तथा उस परमिट की प्रति को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया किया जाता है, ताकि परमिट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक अपने निर्गत परमिट की **Status** की जानकारी प्राप्त कर सकें। पता गलत होने पर निबंधित डाक वापस आ जाने की स्थिति में आवेदक पर 1000=00 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा करने पर ही पुनः निबंधित डाक से परमिट संशोधित पता पर भेजा जायेगा।

अतएव सभी आवेदकों से अनुरोध है कि **निबंधन पुस्तिका/ Owner book में अपना सही पता अनिवार्य रूप से अद्यतन करा लें।**

(iv) **किसी परमिट धारी/बैनर के अधीन परमिट युक्त वाहन का आवश्यक कागजात फेल होने की स्थिति में परिचालन के संबंध में कार्यालय को सूचना** :– *प्राप्त आवेदन की समीक्षा के क्रम में अथवा इस संबंध में आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में प्रायः वाहन स्वामियो द्वारा कहा जाता है कि उनके द्वारा वैसे किसी वाहन, जिसका आवश्यक कागजात फेल है का परिचालन नहीं किया जा रहा है अथवा कागजात फेल होने की अवधि में परिचालन नहीं किया गया है।*

***अतः इस संबंध में सभी वाहन स्वामियों को अवगत कराया जाता है कि यदि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन का कोई भी मान्य कागजात फेल है एव उसका परिचालन वे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी सूचना ससमय कार्यालय को देगें अन्यथा यह माना जायेगा कि उनके द्वारा उक्त वाहन का परिचालन किया गया है/किया जा रहा है (deemed operation of vehicle on road) एवं उक्त के अनुसार कार्रवाई/जुर्माना की जायेगी।***

(v) **V.L.T.D. रिपोर्ट एवं Toll Plaza से रिपोर्ट प्राप्त कर वाहन के परिचालन** के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसलिए सभी वाहन स्वामी अपने बैनर अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों का सभी कागजात अद्यतन रखें। टॉल प्लाजा से वाहन यदि गुजरा है तो वाहन परिचालन का प्रमाण माना जायेगा।

(vi) आवेदन एवं एजेन्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

(vii) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जायेगा।

(viii) **शिकायत हेतु E-mail** :– यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो **E-mail id-rtasaranbihar@gmail.com** पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।

(ix) **बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई** :– सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्त्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि वे **बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे** अन्यथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

**(x) समय–समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया गया है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:–**

| क्र0 सं0 | विषय | कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक | समाचार पत्र | प्रकाशन की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वाहन के कागजात अद्यतन नही रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में। | पत्रांक–188, दिनांक–14.09.2024 | हिन्दुस्तान | 20.09.2024 |
| 2. | वाहन के कागजात अद्यतन नही रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में। साथ हीं 167 प्रमादी वाहनों को भेजे गये नोटिस के संबंध में। | पत्रांक–380, दिनांक–04.10.2024 | हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर | 10.10.2024 |
| 3. | प्रमादी वाहनों का परमिट रद्द करने के संबंध में। | पत्रांक–528, दिनांक–15.11.2024 | दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर | 16.11.2024 |
| 4. | ऑफलाईन परमिटों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इंट्री के संबंध में। | पत्रांक–529, दिनांक–15.11.2024 | द टाईम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर | 19.11.2024 20.11.2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में। | पत्रांक–48, दिनांक–29.03.25 | हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर | 04.04.2025 |
| 6 | परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में। | पत्रांक–148, दिनांक–30.04.25 | हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण | 03.05.2025 |
| 7 | फर्जी बीमा कराकर बस का परिचालन करने के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में। | — | हिन्दुस्तान | 25.05.2025 |

8. सामान्य निदेशः–

**(i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना** :– उन सभी बसों को जिनके परमिट मुजफ्फरपुर प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर **यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता** है। अधिकतर परमिटधारी इस शर्त्त का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

किसी भी आवेदक या ग्रुप के वाहन का पूर्व में निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाता है तो प्रति लंबित वाहन पर 5000=00 रूपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जायेगा एवं भविष्य में उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

*(अनुपालनः आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)*

**(ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना** :– जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड, समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड, समूह/बैनर के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय–सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। वैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन ऑनलाईन या काउन्टर नं0–1 पर समर्पित करेंगे।

**यदि किसी वाहन का स्टेज कैरेज परमिट किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार से निर्गत है एवं उसका परिचालन मार्ग बिहार राज्य/इस प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो उस परमिट को भी राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होना/कराया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आसूचना के अनुसार एवं बसों के जाँच के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि झारखंड एव उत्तर प्रदेश राज्य से परमिट प्राप्त कर बिना प्रतिहस्ताक्षर के हीं इस राज्य/सारण प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।**

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनो की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

***(अनुपालनः सभी डी०टी०ओ० सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)***

**(iii) परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की स्थिति में पुनः परमिट हेतु आवेदन** — यदि किसी वाहन का निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व से धारित परमिट प्रत्यर्पण करने के पश्चात् हीं नये परमिट हेतु आवेदन किया जाय। बिना परमिट प्रत्यर्पण किये नये परमिट हेतु आवेदन करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात् भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग में वाहन का परिचालन किया जा रहा है और इस आधार पर जुर्माना के साथ एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करने के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जायेगी। ***परमिट की प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत होने की स्थिति में छः माह के पूर्व भी परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।***

**(iv) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना** :— परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण—पत्र, बीमा, दुरूस्ती प्रमाण—पत्र, टैक्स, लबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र मे मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ—पत्र इत्यादि की जाँच कर एवं बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

*(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव / लिपिक / ऑपरेटर)*

**(v) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु** :— ऐसी भी शिकायते प्राप्त हो रही है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। **बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना / छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है।** इससे विद्युत तार से सम्पर्क होने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में आयुक्त—सह—अध्यक्ष द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि इस तरह के मामले की जाँच कर विधि सम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें। CCTV footage/Toll Plaza के प्रतिवेदन के आधार पर भी जुर्माना / कार्रवाई की जा सकती है।

कतिपय वाहन स्वामी स्टेज कैरेज (पाँच वर्ष) का परमिट प्राप्त कर स्कूल बस में परिचालित करते हैं एवं टाईम स्लॉट घेर कर रखते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। **प्राधिकार की बैठक दिनांक—30.12.2024 में ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था, जिसका परमिट रद्द करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया था।**

स्टेज कैरेज का परमिट प्राप्त कर यात्री बस के रूप में परिचालन नहीं करना परमिट के शर्तों का उल्लघन है। शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों की जाँच करायी जायेगी एवं परिचालन नही पाये जाने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

*(अनुपालनः सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत / सभी परमिटधारी)*

**(vi) आपत्तिकर्ता का दायित्व :-** आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा— टैक्स, दुरूस्ती प्रमाण—पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण—पत्र, VLTD इत्यादि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि आपत्तिकर्ता / उनके ग्रुप के किसी भी वाहन के कागजात अद्यतन नहीं है या जुर्माना बकाया है तो ऐसी स्थिति मे आपतिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रूपये का जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने **स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का**

**सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे।** आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के काउन्टर नं0–01 अथवा कार्यालय के ई–मेल– rtasaranbihar@gmail.com पर भेजें, इससे कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

***प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय वाहन स्वामी तथ्यात्मक आपत्ति नहीं करते हैं एवं स्वयं के संबंध में कई बिन्दुओं को छुपाकर शिकायत करते हैं। इस क्रम में बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि प्राधिकार की आगामी बैठक से स्वयं के बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों की विवरणी शपथ–पत्र/स्व–घोषणा पत्र में उल्लेखित करते हुए तथ्यात्मक शिकायत करेंगे एवं शिकायत के संबंध में शिकायत का आधार एवं तत्संबंधी वांछित साक्ष्यों की प्रति भी संलग्न करेंगे, जिससे उनके शिकायत पर विचारोपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। सुलभ प्रसंग हेतु शपथ–पत्र/स्व–घोषणा पत्र एवं आपत्ति आवेदन दाखिल करने संबंधी आवेदन–पत्र का Sample प्रारूप कार्यालय के बेवसाईट पर Sample Document के सेक्शन में सुलभता हेतु Upload कर दी गई है।***

**नोटः–** (1) यथासंभव वाहन स्वामी के तरफ से ही आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में ही वाहन स्वामी के तरफ से अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी के तरफ से विधिवत रूप से प्राधिकृत पत्र/एकरारनामा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आपत्ति आवेदन को प्राधिकार द्वारा खारिज किया जा सकता है।

(2) आवेदित मार्ग से भिन्न मार्ग पर समय टकराव के बिंदू पर आपत्ति करने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता अपने जिस वाहन से आपत्ति कर रह रहे हैं, वे उस परमिट के मार्ग का नक्शा अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे, ताकि स्पष्टता से जॉच की जा सके कि आवेदित मार्ग एवं आपत्तिकर्त्ता के परमिट का मार्ग एक–दूसरे को कितना प्रतिशत आच्छादित कर रही है।

*(अनुपालनः संबंधित वाहन स्वामी/संबंधित आपत्तिकर्त्ता)*

**9. नये आवेदन :–**

**(i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात** :– परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है, परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो तथा कार्यालय अभिलेख के लिए आवश्यक कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या–01 पर जमा कराना या ई–मेल rtasaranbihar@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। अतएव सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि निम्न कागाजातों के साथ आवेदन करेंगे:–

(a) निबंधन–पुस्त की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(b) टैक्स की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(c) दुरूस्ती प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(d) बीमा प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(e) प्रदूषण प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैठान क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।

(h) विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र (*अनुलग्नक–1*)।

(i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(j) मार्ग का वैध नक्शा।

(k) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र अनुलग्नक–2 में) ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेश प्रमाण–पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।

(l) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 27 रूपये के डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

(m) समय–सारणी (विहित प्रपत्र में) –दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

**<u>प्रपत्र</u>**

वाहन संख्या–............ रूट संख्या–.......... (..................से..........तक) वाया–............

| पडाव स्थल | वाहन के आगमन का समय | वाहन के प्रस्थान का समय | दो क्रमागत बस पडावों के बीच की दूरी | उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

**(ii) <u>अपूर्ण आवेदन</u> :-** प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं। जैसेः– वाहन की निबंधन संख्या लिखने में, तो कुछ का समय–सारणी में **दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी** एवं उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय लिखने में, या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं कराने में या मोटरयान निरीक्षक का प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) संलग्न नहीं करने में, या शपथ–पत्र में बैनर का नाम नहीं लिखने में।

**ऐसे मामलो को प्रत्येक लिपिकीय भूल/त्रुटि के लिए 5000/–रूपये की दर से जुर्माना लगाकर उनके आवेदन पर विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है।**

चूँकि अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय–सारणी एवं अन्य बिन्दुओं की सही जानकारी प्रतिद्वंदी अथवा पूर्व परमिटधारी नहीं हो पाने के कारण उचित आपत्ति देने एवं सही तथ्यों की जानकरी नहीं रहने पर कर्यालय से भी गलती होने की संभावना रहती है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पर जुर्माना लगाते हुए विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा आवेदकों को त्रुटिरहित आवेदन के लिए प्रेरित करने एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। **यह सिर्फ एक विकल्प होगा, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहेगें तो वे पुनः नियमानुसार एवं विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं तथा** जो आवेदक जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते है, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष **R0041001020014-00-03** में जमा कराकर कार्यालय में विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र के साथ सूचना देगें। तत्पश्चात् परमिट निर्गत किया जाएगा।

***यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में आवेदित समय–सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन एवं अन्य साक्ष्य को संलग्न नहीं किया जायेगा। ऐसे अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।***

***(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)***

**(iii) आवेदक/आपत्तिकर्त्ता या उनके बैनर के तहत संचालित वाहनों पर जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन/आपत्ति करने पर अतिरिक्त जुर्माना** :– यदि किसी आवेदक/आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया जायेगा तो लंबित जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नही है। **ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000/– रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है, ताकि वाहन स्वामी अपने वाहन पर बकाये जुर्माना एवं टैक्स ससमय जमा करने हेतु प्रेरित होंगे।**

**यदि जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है अथवा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

अतः बस मालिकों से अनुरोध है कि यदि आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर पूर्व से अधिरोपित जुर्माना बकाया है, तो बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही नये परमिट हेतु आवेदन करें एव यदि आवेदन करने के पश्चात् आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर जुर्माना अधिरोपित हो जाता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पहले निश्चित रूप से जमा कर दें।

**(iv) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना** :– प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन के स्वामी या उनके **वैध प्रतिनिधि** (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे। कई वाहन स्वामी अन्य आवेदकों के लिए आवेदन देते हैं या बैठक में पक्ष रखते हैं। वैसे आवेदकों को प्राधिकार द्वारा एक ही बैनर के अंतर्गत वाहन परिचालित करना माना जायेगा एवं किसी एक आवेदक पर जुर्माना लंबित होने की स्थिति में उस बैनर के सभी आवेदकों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

**(v) कार्यवाही में अंकित एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी वाहनों के कागजात की जाँच करना**:– संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डल अंतर्गत को निदेश है कि प्राधिकार की कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों एवं अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों के सभी कागजातो यथा–टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, VLTD, परमिट आदि की जॉचकर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा सभी कागजात अद्यतन करवाना सुनिश्चत करेंगे। **अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्त्तन निरीक्षक/प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।**

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यवाही में अंकित वाहनों के साथ–साथ अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित होने वाले सभी वाहनों की कागजातों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो एवं कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

**(vi) कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई** :– सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय में ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित करेगें। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या–1 पर आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय कर्मी के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आर0टी0ए0 सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

**(vii) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से ही कार्यालय अभ्युक्ति** :– कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमिटों के प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध मे विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त हुई है। **मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय का टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।**

**(viii) यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट को निर्गत किया जाना** :– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा **लगातार टाईम स्लॉट में चार–पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है।** टाईम–स्लॉट घेर कर रखा जाता है ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सके।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनो का VLTD रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं **परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम–स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम–स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सके, जिससे कि यात्रीगणों को सुविधा मिल सके।**

**(ix) स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त बसों का विशेष परमिट प्राप्त कर हमेशा टूर में परिचालन करना**:– कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा इस प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट (टाईमिंग परमिट) लेकर इस प्राधिकार से एवं अन्य प्राधिकार से भी विशेष परमिट प्राप्त कर बस का टूर में परिचालन किया जाता है और टाईम स्लॉट घेर कर रखा जाता है, जिससे उस समय–अवधि में बस का परिचालन नहीं होने से आम जनों को यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। परमीटधारी द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार (एक के पीछे एक) अपने बैनर के अंतर्गत चार–पॉच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से अपने आखिरी बस से पहले वाले किसी बस का विशेष परमिट प्राप्त कर अन्यत्र स्थानो पर परिचालन किया जाता है, जिससे यात्रियों को उस समय अवधि में कोई वाहन नहीं मिल पाता है और इस परिस्थिति का लाभ उठाकर वाहन स्वामी द्वारा अपने अगले बस में यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है।

इसलिए उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि टाईमिंग परमिट प्राप्त बसों का इस प्राधिकार से या अन्य प्राधिकार से भी **एक कैलेण्डर माह में सिर्फ दो बार अधिकतम एक–एक सप्ताह के लिए विशेष परमिट प्राप्त कर परिचालन किये जाने की अनुमति होगी।** इस प्रावधान का अनुपालन नही कर अन्य प्राधिकार से विशेष परमिट लेकर अन्य स्थान पर परिचालन करने वाले बसों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

**(x) फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र के संबंध में कार्रवाई** :– प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना, आदि की स्थिति में पीड़ितो को कोई दावा/मुआवजा, आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

इस क्रम में आयुक्त–सह–अध्यक्ष के आदेशानुसार दिनांक–28.01.2025 को सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा छपरा शहर में स्थित बीमा कम्पनियों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक आहूत की गई, जिसमें कतिपय शाखा प्रबंधको द्वारा बताया गया कि ऐसे कतिपय मामले उनके संज्ञान में भी आया है कि बस की बीमा के कागजात देखने में तो वास्तविक प्रतीत होते हैं, परन्तु जॉच के क्रम मे

वह जाली पाये जाते हैं। साथ हीं यह भी बताया गया कि कई ऐसे भी मामले संज्ञान में आये है, जिसकी बीमा विवरणी यथा–बीमा की वैधता अवधि, आदि एम–परिवहन पर भी प्रदर्शित हो रहे थे, परन्तु जॉच के क्रम में पाया गया कि वास्तविकता में वह बीमा या तो जाली है या तो वह बीमा उस बस का न होकर किसी अन्य दुपहिया वाहन अथवा गैर व्यावसायिक वाहन के बीमा पॉलिसी में हेर–फेर (Manipulate) कर बनाया गया है।

**उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.04.2025 में सुनवाई के क्रम में शिकायत किया गया था कि निम्नांकित वाहनों का बीमा फर्जी है। इस वाहनों पर प्रदर्शित बीमा बस का नहीं बल्कि दोपहिया वाहन का है:–**

(i) वाहन सं0–BR29PA-0160 (बस), वाहन स्वामी श्री बब्लू राय, पिता–श्री दीनानाथ राय, ग्राम–पांडेयपुर, पो0–डूमरहर, थाना–गुठनी, जिला–सिवान।

(ii) वाहन सं0–BR28G-2089 (बस), वाहन स्वामी श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–श्री ललन सिंह, ग्राम+पो0–सोनवलिया, गोपालगंज।

उक्त दोनों बसों पर प्रदर्शित बीमा की जॉच कराने के पश्चात् पाया गया कि उक्त बसों का **बीमा बस का नहीं बल्कि दोपहिये वाहन की है।**

(iii) **इसी प्रकार BR29P-9935, वाहन स्वामी–श्री धीरज कुमार राय पिता–श्री मंकेशव राय का बीमा फर्जी होने का मामला प्रकाश में आया था, जो कई माहों से फर्जी बीमा के साथ परिचालन किया जा रहा था। जब मामला प्रकाश में आया तो वाहन स्वामी द्वारा दिनांक–26.04.2025 को सही बीमा कराया गया।**

उक्त तीनों बसों के वाहन स्वामी/प्रतिनिधि पर दिनांक 21.05.20025 को नगर थाना, छपरा, सारण में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रथमिकी (FIR) दर्ज करा दी गई है।

**विदित हो कि** *फर्जी बीमा के आधार पर वाहन का संचालन करना BNS के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य है एवं MV Act,1988, CMV Rule,1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ हीं यात्रीगणों को दुर्घटना की स्थिति में कोई मुआवजा/लाभ भी देय नहीं हो सकेगा।*

अतएव इस संबध में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी बसों का बीमा प्रमाण–पत्र की जॉच सक्षम प्राधिकार/संबंधित ऐजेंसी से करायी जायेगी। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण–पत्र फर्जी पाया जायेगा तो सबंधित वाहन का परमिट रदद करने के साथ–साथ संबधित वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

**(xi) <u>बैठक के तिथि से दो दिन पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना</u>** :– वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि ***वैसे परमिट जिसके टाईम स्लॉट से किसी आवेदित वाहन के टाईम स्लॉट से टकराव हो रहा हो एवं उस परमिट को वे प्रत्यर्पित करना चाहते है, तो वे ऐसे परमिट को प्राधिकार की बैठक की तिथि से दो दिन पूर्व तक कार्यालय में प्रत्यर्पित कर सकते हैं, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जा सके, अन्यथा उक्त अवधि के बाद परमिट प्रत्यर्पण करने पर प्रत्यर्पित परमिट के टाईम स्लॉट को रिक्त नहीं मानते हुए आवेदित वाहन के परमिट पर विचार किया जायेगा।***

**(xii) दो पड़ावों के बीच दूरी** :– कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग–अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकार के पूर्व निर्णय के अनुसार **विभागीय पोर्टल में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाता है।** यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में प्रतिवाद/आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर यदि आवश्यक हुआ तो विभाग को पोर्टल में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा। तत्पश्चात् यदि किसी मार्ग की दूरी में विभाग द्वारा सुधार किया जाता है, तो यह दूरी विभाग द्वारा पोर्टल में सुधार के बाद की तिथि से प्राप्त आवेदन के लिए मान्य होगी।

**इस संबंध में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से पुनः अनुरोध किया गया कि यदि किसी मार्ग की दूरी में भिन्नता हो या दूरी के संबंध में कोई शिकायत हो तो उस मार्ग का नाम, माया एवं मार्ग की संख्या सहित उस मार्ग का नक्शा संलग्न कर सुधार हेतु प्राधिकार को आवेदन समर्पित करें। उस आवेदन के आलोक में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच करायी जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय पोर्टल में पूर्व से दर्ज दूरी में अपेक्षित सुधार हेतु अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी।**

**(xiii) High Security Registration Plate** :– केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदित वाहनों/आपत्तिकर्त्ता के वाहनों में H.S.R.P. लगे नहीं होने के कारण जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत किया गया है। अतः सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि अपने वाहन में H.S.R.P. लगवा लें एवं ऑनलाईन भी अपडेट करा लें।

कतिपय वाहनों में स्थानीय दुकानों/फुटपाथों पर स्थापित दुकानों द्वारा मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिया जाता है, जिसके कारण E-Challan निर्गत होने पर पता चलता है कि जिस वाहन का चालान निर्गत किया गया है, वह किसी अन्य स्थान पर है। फर्जी निबंधन प्लेटों/नंबर प्लेटों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी बसों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**(xiv) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना** :– परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–8866, दिनांक–09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल–2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो को अधिसूचित किया गया है। MMPPY योजना के तहत् प्राप्त बसों के मालिको से अनुरोध है कि वे **योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर हीं परिचालन** हेतु आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10. अन्यान्य :–

**(i) परमिट की प्रति वाहन पर चस्पा करने के संबंध में** :– *प्राधिकार की बैठकों में प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामी एक–दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अमूक व्यक्ति द्वारा अपने वाहन का परिचालन मेरे समय–सारणी के पहले/आगे–आगे कराते हैं एवं मना करने पर कहते हैं कि इस टाईम का परमिट मुझे प्राप्त है तथा परमिट की प्रति दिखाने को कहने पर परमिट की प्रति नहीं दिखाते हैं, जिससे वाहन स्वामियों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।*

**उपरोक्त के मद्देनजर सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वे अपने वाहन के परमिट की छायाप्रति वाहन के अंदर से उचित स्थान पर यथा–window glass आदि पर पठनीय भाग बाहर की ओर करके चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अन्य वाहन स्वामी के साथ–साथ यात्रीगण भी उस बस के समय–सारणी को देख सकें। इससे वाहन स्वामियों के बीच इस बिंदु पर आपसी विवाद उत्पन्न नहीं होगा तथा यात्रिगणों को भी समय की दृष्टिकोण से यात्रा करने में सुविधा होगी।**

*यदि चस्पा किये गये परमिट की प्रति किसी के द्वारा नुकसान कर दिये जाने या किसी तरह क्षतिग्रस्त होने या अपठनीय होने की स्थिति में समय–सारणी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद से प्रभावित होने वाले परमिटधारी को दूसरे वाहन के परमिट को देखने का अधिकार होगा।*

**(ii)** **नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में** :– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा। **पुनः इस बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि यदि कोई महत्वपूर्ण मार्ग अधिसूचित कराना रह गया हो तो इस आशय का आवेदन प्राधिकार को समर्पित करें।**

**(iii)** **विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन** :– सभी मोटरयान निरीक्षक, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का भौतिक जॉच/सत्यापन हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है तो नियमानुसार आवेदित वाहन का निरीक्षण/भौतिक जॉच कर वस्तु स्थिति की सूचना विहित प्रपत्र में अंकित करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।

*ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मोटरयान निरीक्षक द्वारा वाहनों का भौतिक जाँच/सत्यापन कार्यालय में बैठे–बैठे हीं कर दिया जा रहा है। वाहन को भौतिक रूप से उपस्थित होकर जाँच नहीं किया जाता है सिर्फ विहित प्रपत्र को भरकर खानापूर्ति कर दी जा रही है।* अतः निदेश है कि वाहनों का भौतिक जॉच/सत्यापन करते समय GPS युक्त कैमरा से अनिवार्य रूप से साक्ष्य के तौर पर फोटो खींच लिया जाय एवं संबंधित वाहन स्वामी को उपलब्ध करा दिया जाय, जिसकी प्रति वाहन स्वामी सत्यापन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर परमिट हेतु आवेदन करने पर आवेदन के साथ संलग्न कर कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

**(iv)** **दूसरे राज्य में बकाये जुर्माना के संबंध में विकल्प/प्रावधान** :– प्राधिकार की विभिन्न बैठकों में बकाये जुर्माने के संबंध में प्रायः यह वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके वाहन पर बकाया जुर्माना अन्य राज्य यथा–उत्तर प्रदेश, आदि राज्य से संबंधित है, जहाँ उनके जुर्माना से संबंधित मामला न्यायालय में चला गया है, जिस कारण उनका जुर्माना शीघ्र/ऑनलाईन माध्यम से जमा नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में उपस्थित वाहन स्वामी श्री अवधेश प्रसाद, पिता–स्व0 वशिष्ठ प्रसाद, ग्राम–विशुनपुर, थाना–महाराजगंज, जिला–सिवान द्वारा बताया गया कि उनके वाहन सं0–BR29M-7375 पर मात्र 500/–रूपये का जुर्माना बकाया है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे जमा करने हेतु वे कई बार न्यायालय जा चुके हैं एवं इस क्रम में जुर्माने की राशि से कई गुना अधिक राशि खर्च कर चुके हैं। फिर भी उक्त जुर्माना अबतक जमा नहीं हो पाया है। इस बकाये जुर्माने के कारण उनके वाहन का फिटनेश भी अद्यतन नही हो पा रहा है, जिस कारण उक्त वाहन का परमिट भी रद्द हो गया। बैठक में दानी मौर्यध्वज बैनर के तरफ से उपस्थित श्री बिरेन्द्र राय द्वारा भी बताया गया कि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन पर बकाया राशि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जहाँ इनका मामला भी न्यायालय में चला गया है, जिस कारण ऑनलाईन माध्यम से अथवा शीघ्र जमा नहीं हो पायेगा।

चूँकि प्राधिकार द्वारा वैसे वाहन स्वामियों, जो सरकार का राजस्व/जुर्माना बकाया रखकर अपने वाहन का परिचालन करते हैं, को प्रोत्साहित नहीं करने एवं बकाया जुर्माना ससमय जमा करने हेतु प्रेरित करने के दृष्टिकोण एवं उद्येश्य से परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाती है अथवा पूर्व से बकाये टैक्स/जुर्माना जमा करने के साथ अतिरिक्त जुर्माना के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त स्थिति/प्रावधान के कारण कई बार कतिपय वाहन स्वामी परमिट से वंचित रह जाते हैं।

प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में उपस्थित कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा कहा गया कि *"हमलोग उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य में या न्यायालय में लंबित है, को यहाँ की शीर्ष में जमा करने के लिए तैयार हैं। कृपया बकाये जुर्माना की राशि यहाँ की शीर्ष में जमा कराकर परमिट की स्वीकृति दिया जाय।"*

**अतः उपरोक्त के मद्देनजर एवं वाहन स्वामियों के अनुरोध के आलोक में प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–**

**(क)** वाहन स्वामी यदि चाहें तो उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य के न्यायालय में लंबित है, जो शीघ्र जमा नहीं हो पा रहा है, को Tax Receipt शीर्ष **R0041001020014-00-03** में अपने स्वेच्छा से एक शपथ–पत्र के साथ जमा करते हैं, तो परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन की जा सकेगी, परन्तु शपथ–पत्र इस आशय का संलग्न होना अनिवार्य होगा कि ***अमूक राशि अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अपने स्वेच्छा से परमिट प्राप्त करने हेतु उक्त राशि जमा कर रहा हूँ/कर रही हूँ एवं जमा की गई उक्त राशि वापस लेने हेतु भविष्य में कभी दावा नहीं करूँगा/करूँगी तथा अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन जुर्माना भी जब जमा होगा, तब जमा कर दूँगा/कर दूँगी।***

**(ख)** जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी एवं अमूक राज्य में/अमूक राज्य के न्यायालय में लंबित जुर्माने की राशि से मुक्ति नहीं होगी। यानि बकाया राशि भविष्य में उस राज्य/ न्यायालय में भी जमा करना होगा।

**(ग)** उपरोक्त प्रावधान सिर्फ वैकल्पिक होगा। आवेदक यदि चाहें तो उक्त विकल्प को नही मानकर बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् पुनः परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं।

**(v) <u>नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का अवैध परिचालन करने संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में</u>** :– विभिन्न स्रोतों से एवं प्राधिकार की बैठक में भी कतिपय आवेदकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के निबंधन संख्या वाले कुछ वाहनों को सारण प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न मार्गों यथा–सारण, सिवान, गोपालगंज से राँची, टाटा, बोकारो (झारखंड), दिल्ली के मार्गों पर अवैध ढंग से परिचालन किया जा रहा है। इन बसों के पास न तो परमिट होते हैं और न हीं इनके कागजात यथा–टैक्स, बीमा, आदि अद्यतन होते हैं।

इसी प्रकार प्राधिकार का बैठक दिनांक–27.11.2025 के सुनवाई के क्रम में ***श्री आशु कुमार राय, पिता–श्री धर्मेश्वर राय, ग्राम–डुमरहर बुजुर्ग, पो0–डुमरहर खुर्द, थाना–दरौली, जिला– सिवान*** द्वारा बताया गया कि सिवान से गोरखपुर मार्ग पर कतिपय बस को बिना परमिट एवं बिना वांछित कागजात के ही नियमित रूप से परिचालन किया जा रहा है। परमिटधारी वाहन स्वामियों द्वारा मना करने पर उनके साथ मार–पीट एवं गाली–ग्लौज किया जाता है। इस संबंध में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे ऐसे वाहन स्वामियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है।

बिना परमिट एवं बिना अद्यतन कागजातों के किसी भी वाहन का परिचालन करना नियमाकूल नहीं है। यदि ऐसे वाहनों का परिचालन सारण RTA के क्षेत्र में किया जा रहा है तो उसकी जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करते हुए उसके परिचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

**अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं RTA, सचिव को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त में वर्णित शिकायतों के आलोक में अपने टीम के साथ उपरोक्त तथ्यों की जाँच करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत ऐसे किसी वाहन, जिसके पास वैध परमिट एवं वैध कागजात न हो, का परिचालन नही किया जा रहा है।**

**अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।**

27/11/25 27/11/2025 27/11/25

अपर समाहर्त्ता, सारण (राजस्व)
–सह–
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

27/11/25

ज्ञापांक 309 / सारण, दिनांक 27 / 11 /2025

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक,सारण प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, क्षेत्रीय परि० प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, सारण/सीवन/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

27/11/2025

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

# क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक

| |
|---|
| दिनांक–27.11.2025 की कार्यवाही। |
| समयः–12:00 बजे मध्याह्न से, |
| स्थानः– आयुक्त कार्यालय (VC के माध्यम से) |

| कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक–25.09.2025 की कार्यवाही– | | | | पृष्ठ स0 |
|---|---|---|---|---|
| कार्यावाली स0–01 | 1 | गत बैठक दिनांक–28.08.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन। | | |
| कार्यावली स0–02 | | प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में सयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची। | परिशिष्ट–I | |
| | (i) | बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1–28 दिन तक) | | |
| | (ii) | नेशनल परमिट का ऑथोराइजेशन (एक वर्ष) | | |
| | (iii) | सम्पुष्टि की प्रत्याशा मे नामांतरित किये गये परमिटो की सूची। | | |
| | (iv) | स्थायी सवाडी गाडी के प्रतिस्थापितकिये गए परमिटों की सूची। | | |
| | (v) | स्थायी सवाडी गाडी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची। | | |
| | (vi) | प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवाडी गाडी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या। | | |
| कार्यावली सं0–03 | (i) | बसों के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज परमिट) निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण। | परिशिष्ट–II | |
| | (ii) | अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवाडी गाडी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पूर्व से लंबित आवेदनों पर विचारण। | परिशिष्ट–III | |
| | (iii) | एजेन्ट लाईसेंस। | परिशिष्ट–IV | |
| कार्यावली सं0–04 | | पिंक बसों का अस्थायी परमिट स्वीकृति के संबंध में। | | |

## परिशिष्ट–I

| कार्यावली सं0–01 | |
|---|---|
| गत बैठक दिनांक–28.08.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन। | अनुपालन किया जा रहा है। |

**कार्यावली सं0–02(i-vi)**

प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची, दिनाक–30.06.2025 से 28.07.2025 तक।

| | |
|---|---|
| (i) | बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1–28 दिन तक) –05 |
| (ii) | नेशनल परमिट का ऑथोराइजेशन (एक वर्ष)– शून्य |
| (iii) | सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामातरित किये गये परमिटो की सूची–00 |
| (iv) | स्थायी सवारी गाडी के प्रतिस्थापित किये गए परमिटो की सूची–00 |
| (v) | स्थायी सवारी गाडी के नवीकरण किये गए परमिटो की सूची–00 |
| (vi) | प्राप्त आवेदन के आलोक मे स्थायी सवाडी गाडी के परमिट प्रत्यर्पण की सख्या–03 |

कार्यावली संख्या–3(i) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों एवं आपत्तियों पर विवारण:– परिशिष्ट–II

| प्राप्त आवेदनों की विवरणी | | | | प्राप्त आपत्ति से संबंधित विवरणी | कार्यालय स्तर पर की गई समीक्षा की विवरणी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातो की वैधता | मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन की विवरणी | कार्यालय का तथ्य | कार्यालय तथ्य में वर्णित वाहन की विवरणी | निर्णय |
| 1 | सुदामा सिंह पिता–भोला सिंह, ग्राम–कौरिया, जिला–सिवान बैनर का नाम– **मुन्ना डिलक्स।** | BR04G-1476 नि0ति0–**03.11.09** टैक्स–31.01.26 फिट0–05.06.26 बीमा–13.05.26 प्रदूषण–13.05.26 VLTD–03.06.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ | बसन्तपुर–छपरा **मार्ग सं0–4093** बसन्तपुर प्र0–10:11 छपरा प्र0–13:14 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।* | | **स्वीकृत।** |
| 2. | मोहित कुमार ओझा, ग्राम+पो0+थाना–सहाजितपुर जिला–सारण बैनर का नाम–रोहित **मोहित ट्रैवल्स।** | BR29PB-1719 नि0तिथि 01.08.25 टैक्स–30.01.2026 फिट0–30.07.27 बीमा–20.05.26 प्रदूषण–31.07.26 VLTD–30.06.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ | जनता बाजार –सिवान **मार्ग सं0–3801** जनता बाजार प्र0 –04:54 सिवान प्र0–13:35 | आपत्तिकर्ता–श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, पिता–स्व0 पृथ्वीनाथ सिंह, परमिट सं0– BR/109/SC/ 2015/ 195 आवृत वाहन सं0– BR04G-7745 मार्ग– जनता बाजार – सिवान, मार्ग सं0–<br>(1) यह बस पन्द्रह वर्षों से इस रूट पर अकेला चलती है, जो ग्रामीण सड़क है।<br>(2) आवेदककर्त्ता के द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर 05 मिनट एवं चार मिनट छोड़कर आगमन एवं प्रस्थान का समय प्रकाशित कराया गया है, जबकि इस रूट पर दुसरा कोई परमिट नहीं है तथा कोई दूसरा बस भी नहीं चलती है।<br>(3) आवेदक के द्वारा मुझे आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुँचाने हेतु एवं बस का परिचालन बंद कराने हेतु आवेदन दिया गया है। | BR04G-7745 नि0ति0–**01.10.09** टैक्स–31.10.25 फिट0–11.03.26 बीमा–25.01.26 प्रदूषण–09.03.26 VLTD–10.11.25 जुर्माना–नहीं | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।* आवेदित वाहन के बैनर रोहित मोहित ट्रेवल्स के अंतर्गत बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है। | | आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आपत्ति में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि समय–सारणी मे किस बिंदु पर प्रावधान का उल्लघन अथवा समय का टकराव हो रहा है। ऐसे में आपत्ति मान्य नहीं है। अतः **परमिट स्वीकृत।** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता- श्री राम ऐकबाल पाण्डेय ग्राम- पूर्वी पकड़ी, थाना- डुमरिया घाट, जिला-पू०चम्पारण । बैनर का नाम- **आलोक बस सर्विस** | BR05PB-8547 नि०तिथि 31.05.25 टैक्स-27.11.25 फिटनेश-30.05.27 बीमा-27.05.26 प्रदूषण-30.05.26 VLTD-29.06.27 जुर्माना-नही H.S.R.P-हाँ | गुठनी-रक्सौल **मार्ग सं०-3675** गुठनी प्र०-06.55 रक्सौल प्र०-12.40 | आपतिकर्ता-श्री धीरज कुमार, पिता-श्री पृथ्वनाथ प्रसाद, परमिट सं०- BR2023-SC-0763A आवृत वाहन सं०- BR06PF-1427 मार्ग- सिवान-रक्सौल, मार्ग सं०-2465 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है- आवेदक मीरगज प्र०-08:16 आपतिकर्ता मीरगज प्र०-08:15 अंतराल-01 मिनट साथ ही सुगौली मे 12:01 मे पहुँचकर 12:02 मे प्रस्थान कर रहे है तथा गोपालगज जिला मुख्यालय है, वहाँ भी 16:40 में पहुँचकर 16:41 मे प्रस्थान कर रहें है। | BR06PF-1427 नि०तिथि-10.04.21 टैक्स-29.09.25 फि०-15.04.27 बीमा-05.01.26 प्रदूषण-07.04.26 VLTD-03.05.26 जुर्माना-नही | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।* आवेदित वाहन के बैनर आलोक बस सर्विस के अंतर्गत वाहन पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया है कि मीरगज मध्य बिंदु है, जहाँ बाईपास किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आपतिकर्ता जिस वाहन से आपत्ति दिये है, उस बस के नये परमिट हेतु आवेदन किये है, जो क्रमांक-16 पर है। आपतिकर्ता के परमिट स्वीकृत होने के स्थिति मे पूर्व परमिट स्वतः समाप्त हो जायेगा। | | चूंकि आवेदक एवं आपतिकर्ता का कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक है एवं मीरगज मे अंतराल मात्र 01 मिनट का है। साथ ही आपतिकर्ता द्वारा अपने वाहन का नये परमिट हेतु आवेदन भी किया गया है, जो क्र० 16 पर है एवं स्वीकृत है। चूंकि आपतिकर्ता के वाहन का नया समय-सारणी स्वीकृत हो गया है। अतः उपरोक्त के आलोक मे **परमिट स्वीकृत।** |
| 4. | श्री आदित्य कुमार गुप्ता, पिता- स्व० प्रेमचन्द गुप्ता, ग्राम+पो०- किशुनपाली, थाना-दरौली जिला-सिवान **बैनर का नाम- न्यू शक्तिमान** | BR29PB-1316 नि०तिथि-19.01.22 टैक्स-24.12.25 फिटनेश-22.01.26 बीमा-01.12.25 प्रदूषण-04.07.26 VLTD-27.06.27 जुर्माना-नही H.S.R.P-हाँ | सिवान-दरौली **मार्ग सं०-3663** डा० सिवान प्र०-02:55 दरौली प्र०-04:45 सिवान प्र०-07:57 दरौली प्र०-11:10 सिवान प्र०-13:43 दरौली प्र०-16:30 | आपत्ति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।* | | स्वीकृत। |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री पुष्पेन्द्र राय,<br>पिता- भरत राय,<br>ग्राम- डुमरहर बुर्जग<br>पोo- डुमरहर खुर्द,<br>थाना- दरौली,<br>जिला- सारण।<br>**बैनर का नाम-**<br>**जय सिया राम।** | BR29K-5580<br>निoतिथि- 25.05.12<br>टैक्स- 24.11.25<br>फिटनेश- 12.03.26<br>बीमा- 15.06.26<br>प्रदूषण- 11.03.26<br>VLTD- 28.03.26<br>जुर्माना- नही<br>H.S.R.P- हॉं | मेहरौना- सिवान<br>**मार्ग सo 3696**<br>मेहरौना प्रo- 06:50<br>सिवान प्रo- **07:57**<br>मेहरौना प्रo- 09:05<br>सिवान प्रo- 11:35<br>मेहरौना प्रo- 12:50<br>सिवान प्रo- 14:38<br>मेहरौना प्रo- 15:30<br>सिवान प्रo- 16:35 | (1) आपत्तिकर्ता- श्री आदित्य कुo गुप्ता, पिता- स्वo प्रेमचन्द्र गुप्ता, परमिट सo- नया आवेदन (क्रमांक- 4)<br>सिवान- दरौली, मार्ग सo- 3663 डाo<br>आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है:-<br>आवेदक सिवान प्रo- 07:57<br>आपत्तिकर्ता सिवान प्रo- 07:57<br>अंतराल- 00 मिनट<br>(2) आपत्तिकर्ता- श्री अमरेन्द्र राय, पिता- भरत राय, परमिट सo- BR/109/ SC/2015/152, आवृत्त वाहन सo- BR29R-8448 मार्ग- केवटलिया- सिवान, मार्गसo- 3696<br>आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है:-<br>आवेदक मेहरौना प्रo- 09:05<br>आपत्तिकर्ता मेहरौना प्रo- 09:03<br>आवेदक सिवान प्रo- 14:38<br>आपत्तिकर्ता सिवान प्रo- 14:36<br>अंतराल- 02 मिनट<br>मेरा परमिट प्राधिकार द्वारा 2015 से 05.08.25 तक निर्गत था। पिछले बैठक मे मैने आवेदन दिया था, लेकिन विभाग द्वारा मार्ग अधिसूचित नही होने के कारण निरस्त हो गया। फिर इस बैठक मे मैने अपना समय सुधार कर 14:36 किया। पिछले प्रकाशन को देखकर आवेदनकर्त्ता ने मेरा 14:38 का समय के लिये प्रकाशन कराये है। | BR29PB-1316<br>निoतिथि- 19.01.22<br>टैक्स- 24.12.25<br>फिटनेश- 22.01.26<br>बीमा- 01.12.25<br>प्रदूषण- 04.07.26<br>VLTD- 27.06.27<br>जुर्माना- नही<br>BR29R-8448<br>निoतिथि- 20.10.14<br>टैक्स- 19.01.26<br>फिटनेश- 02.07.26<br>बीमा- 10.06.26<br>प्रदूषण- 28.01.26<br>VLTD- 15.06.26<br>जुर्माना- नही | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर जय सियाराम के अंतर्गत वाहन सo- BR29PA - 1960 पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है एव साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया है।<br>वाहन सo- BR29PA - 1877 का बीमा दिनाक 19.07.2025 से फेल है, जबकि यह वाहन परमिट से आवृत है। | | आवेदक एव प्रथम आपत्तिकर्ता का सलग्न नक्शा एव समय- सारणी के अनुसार कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक है एव सिवान में सामान समय हो रहा है। द्वितीय आपत्तिकर्ता के दोनों बिंदुओं पर आवेदक 02 मिनट बाद प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि प्रावधान के अनुसार सही है।<br>अतः प्रथम आपत्ति के आलोक में **प्रथम ट्रिप कटाव** के साथ तथा बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन सo- BR29PA - 1877 का बीमा अद्यतन नहीं होने के कारण **मोo 10000 /- रूo** जुर्माना के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।** |
| 6 | श्री रंजीत कुमार,<br>पिता- श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह,<br>पता- अयमा, गिद्धा सरैया,<br>मुजफ्फरपुर।<br>**बैनर का नाम -**<br>**कुमार ट्रेवल्स।** | BR01PR-3843<br>निoतिथि- 25.03.20<br>टैक्स- 01.12.25<br>फिटनेश- 11.07.26<br>बीमा- 02.10.2026<br>प्रदूषण- 13.06.26<br>VLTD- 04.09.27<br>जुर्माना- नही<br>H.S.R.P- हॉं | माड़ी- बैरिया<br>**मार्ग सo- 3957**<br>मांझी प्रo- 04:00<br>बैरिया प्रo- 17:05 | आपत्ति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*<br>**कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सo- BR06PC-7745, परमिट सo- BR2021-SC-3060A वैधता- 08.12.2026 का **मॉंझी में प्रo समय 04:02** तथा **आवेदक का प्रo समय 04:00** है।<br>समय अंतराल- 02 मिनट | BR06PC-7745<br>निoतिo- 23.11.15<br>टैक्स- 08.02.26<br>फिटo- 24.11.26<br>बीमा- 19.09.26<br>प्रदूo- 27.08.26<br>VLTD- 11.11.26 | कार्यालय तथ्य मे उल्लेखित वाहन के समय- सारणी से मॉंझी मे टकराव होने की स्थिति मे ट्रिप कटाव के कारण **आवेदन अस्वीकृत।** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | श्री सियाराम सिंह पिता–स्व0 नित्यानंद सिंह<br>पता–रामपुर कला, पो0+थाना–खैरा, सारण।<br>बैनर का नाम–<br>**गोमती बस** | BR04J-0126<br>नि0तिथि–**24.11.10**<br>टैक्स–31.12.25<br>फिटनेश–27.05.26<br>बीमा–04.04.26<br>प्रदूषण–11.04.26<br>VLTD–16.05.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | छपरा–अमनौर<br>**मार्ग सं0–2162**<br>अमनौर प्र0–08:50<br>छपरा प्र0–17:05 | आपति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक– 18.05.2018 को निर्गत है।* | | **स्वीकृत।** |
| 8 | श्री अखिलेश्वर राय, पिता–कपिलदेव राय,<br>ग्राम–ऊपहा, पो0+थाना–जिरादेई, जिला–सिवान<br>**बैनर का नाम–**<br>**सियाराम।** | BR29G-4107<br>नि0तिथि–**07.05.10**<br>टैक्स–31.01.26<br>फिटनेश–16.04.26<br>बीमा–30.06.26<br>प्रदूषण–06.02.26<br>VLTD–27.04.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | मेहरौना –सिवान<br>**मार्ग सं0–3696**<br>मेहरौना प्र0–09:42<br>सिवान प्र0–13:10 | आपति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* | | **आवेदन वापस।** |
| 9 | श्री अतुल सागर, पिता– श्री अजय सिंह, ग्राम–फिरोजपुर, थाना–अमनौर, जिला–सारण<br>बैनर का नाम–<br>**संकट मोचन** | BR04PA-8568<br>नि0तिथि 15.07.25<br>टैक्स–13.01.2026<br>फिटनेश–14.07.27<br>बीमा–14.07.26<br>प्रदूषण–14.07.26<br>VLTD–14.08.27<br>जुर्माना–नहीं<br>H.S.R.P–हाँ | अमनौर–छपरा<br>**मार्ग सं0–2162**<br>अमनौर प्र0–07:30<br>छपरा प्र0–09:37<br>अमनौर प्र0–11:55<br>छपरा प्र0–15:08 | आपति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* | | **स्वीकृत।** |
| 10 | श्री टुनटुन साह, पिता–श्री शिव कुमार साह,<br>ग्राम–सुपौली, थाना–सिघवलीया, जिला–गोपालगंज<br>**बैनर का नाम–**<br>**साह रथ** | BR28P-4332<br>नि0तिथि–06.08.25<br>टैक्स–30.01.26<br>फिटनेश–05.08.27<br>बीमा–04.08.26<br>प्रदूषण–05.08.26<br>VLTD–31.08.27<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | छपरा–मोतिहारी<br>**मार्ग सं0–3972**<br>छपरा प्र0–05:24<br>मोति0 प्र0–11:47<br>छपरा प्र0–17:38<br>मोति0 प्र0–21:40 | आपतिकर्ता–श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता–श्री भरत भूषण सिंह, परमिट सं0– BR2023-SC-0763A आवृत वाहनस0–BR05PA-4666 **मार्ग–रक्सौल–गुठनी,** मार्ग सं0–3675<br>आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:–<br>आवेदक मोतिहारी प्र0–11:47<br>आपतिकर्ता मोतिहारी प्र0–11:50<br>अंतराल–03 मिनट | BR05PA-4666<br>नि0तिथि–24.08.16<br>टैक्स–28.12.25<br>फिट0–22.08.26<br>बीमा–27.09.26<br>प्रदूषण–03.11.26<br>VLTD–24.08.26<br>जुर्माना–नहीं | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*<br>आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया है कि मोतिहारी आपतिकर्ता का मध्य बिंदु है, जहाँ पर अंतराल 03 मिनट का है। | | ऐसे मामलों में पूर्व में निर्गत कार्यवाही की कडिका–5(ग)(iii) में वर्णित है कि *" पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिंदु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिंदु होने की स्थिति में समय–अंतराल पहले या बाद में न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।"*<br>उक्त प्रावधान के तहत आपत्ति मान्य नही है।<br>अतः **परमिट स्वीकृत।** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | श्रीमती निधि कुमारी पति श्री राज कुमार, पता–शांति श्री अपार्टमेन्ट फ्लैट नं0– 1बी0, पाटलिपुत्रा कॉलनी, पटना। **बैनर का नाम– साह रथ।** | BR01PR-2065 नि0तिथि–20.07.24 टैक्स–19.10.25 फिटनेश–19.07.26 बीमा–19.07.26 प्रदूषण–15.01.26 VLTD–24.07.26 जुर्माना–नही H.S.R.P–हॉं | छपरा–मोतिहारी **मार्ग सं0 3972** छपरा प्र0–04:59 मोति0 प्र0–11:21 छपरा प्र0–17:32 मोति0 प्र0–21:34 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* | | **स्वीकृत।** |
| 12 | श्री अजय कु0 सिंह, पिता–स्व0 मंगल सिंह, ग्राम–फिरोज पुर, थाना–अमनौर, जिला–सारण। **बैनर का नाम– संकट मोचन।** | BR04D-0886 नि0तिथि–**04.05.06** टैक्स–31.01.26 फिटनेश–08.09.26 बीमा–04.05.26 प्रदूषण–09.04.26 VLTD–17.08.27 जुर्माना–नही H.S.R.P–हॉं | अमनौर–छपरा **मार्ग सं0–2162** अमनौर प्र0–07:50 छपरा प्र0–16:35 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* | | **स्वीकृत।** |
| 13 | श्री संजीव कुमार तिवारी, पिता–श्री नरेन्द्र नाथ तिवारी, ग्राम–तिवारी चकिया पो0–हुस्सेपुर, थाना– भोरे, जिला–गोपालगंज बैनर का नाम– श्रेया ट्रेवल्स। | BR22P-1554 नि0तिथि **28.05.10** टैक्स–27.11.25 फिटनेश–07.09.26 बीमा–24.06.26 प्रदूषण–11.10.26 VLTD–25.02.26 जुर्माना–नही H.S.R.P–हॉं | गोपालगंज– जगदीशपुर **मार्गसं0–3860 डा0** गोपालगंज प्र0 –05:20 जगदीशपुर प्र0 –14:30 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* | | **स्वीकृत।** |
| 14 | श्री सत्येन्द्र कु0सिंह, पिता–श्री विश्वनाथ सिंह, ग्राम+पो0–मीरा मुसेहरी, थाना– छपरा मुफ्फसील, जिला–सारण। बैनर का नाम– **जय हनुमान।** | BR04F-5966 नि0तिथि–**15.05.09** टैक्स–31.01.26 फिटनेश–21.10.26 बीमा–09.11.26 प्रदूषण–31.03.26 VLTD–21.09.26 जुर्माना–नही H.S.R.P–हॉं | मशरक–छपरा **मार्ग सं0–2164** मशरक प्र0–07:45 छपरा प्र0–10:20 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदित वाहन के बैनर जय हनुमान के अंतर्गत वाहन सं0– BR04J-1222 का VLTD अदयतन करा लिया गया है। समय–सारणी में अधिकतम बिंदुओं के मध्य समय–अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। | | समय–सारणी में अधिकतम बिंदुओं के मध्य समय– अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने के कारण मो0 5000 / –रू0 जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत। |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | श्रीमती एकता कुमारी, पति–श्री धीरेन्द्र कुमार, पता–भवानीपुर जिरात, मोतिहारी।<br>बैनर का नाम–<br>**NRA गुडिया।** | BR06PF-5542<br>नि0तिथि–08.02.23<br>टैक्स–29.01.26<br>फिटनेश–07.02.27<br>बीमा–06.02.26<br>प्रदूषण–15.02.26<br>VLTD–05.06.27<br>जुर्माना–नहीं<br>H.S.R.P–हाँ | गुठनी–रक्सौल<br>मार्ग सं0–3675<br>गुठनी प्र0–07:03<br>रक्सौल प्र0–15:14 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधि0 दि0- 05.06.2025 को निर्गत है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर **NRA** गुडिया के अंतर्गत वाहनो पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है। | | आवेदित वाहन का पूर्व परमिट 6 माह के अंदर का है। आवेदिका द्वारा पूर्व परमिट का मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की प्रति संलग्न करते हुए पुन परमिट हेतु आवेदन किया गया है। परन्तु प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत परमिट का प्रत्यर्पण किये बिना ही आवेदन किया गया है। ऐसे मे माना जायेगा कि परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात् भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग मे वाहन का परिचालन किया जा रहा है।<br>अतः उपरोक्त के लिए मो0 5000/–रू0 जुर्माना के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।** |
| 16. | श्री धीरज कुमार पिता–ध्रुवनाथ प्रसाद पता–भवानीपुर जिरात, मोतिहारी।<br>बैनर का नाम–<br>**NRA गुडिया।** | BR06PF-1427<br>नि0तिथि 10.04.21<br>टैक्स–29.12.25<br>फिटनेश–15.04.27<br>बीमा–07.04.26<br>प्रदूषण–01.11.26<br>VLTD–03.05.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | गुठनी–रक्सौल<br>मार्ग सं0–3675<br>गुठनी प्र0–06:45<br>रक्सौल प्र0–13:57 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज0 प्राधिकार से दिनाक–04.03.2023 को निर्गत है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर **NRA** गुडिया के अंतर्गत वाहन पर बकाये जुर्माना आदि का उल्लेख उक्त क्रमाक–15 मे वर्णित है। | | **स्वीकृत।** |
| 17. | श्री संजीव कुमार तिवारी, पिता–श्री नरेन्द्र नाथ तिवारी, ग्राम–तिवारी चकिया पो0–हुस्सेपुर, थाना– भोरे, जिला–गोपालगंज<br>बैनर का नाम–<br>**श्रेया ट्रैवल्स।** | BR7P-2876<br>नि0तिथि 02.12.09<br>टैक्स–30.11.25<br>फिटनेश–23.08.26<br>बीमा–03.02.26<br>प्रदूषण–03.02.26<br>VLTD–13.08.26<br>जुर्माना–नहीं<br>H.S.R.P–हाँ | गोपालगंज–जगदीशपुर<br>मार्ग सं0–3860 डा0<br>गोपालगंज प्र0 –04:50<br>जगदीशपुर प्र0 –14:20 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।* | | **स्वीकृत।** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | श्री देवेन्द्र कुमार पिता प्रपनाथ प्रसाद पता–भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम– **NRA गुडिया।** | BR06GC-9747 नि0तिथि–09.04.16 टैक्स–08.01.26 फिटनेश–18.09.26 बीमा–06.09.26 प्रदूषण–28.07.26 VLTD–23.07.26 जुर्माना–नही H.S.R.P–हॉ | सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0 2199** सिवान प्र0–06:32 मोतिहारी प्र0–10:02 सिवान प्र0–14:59 मोतिहारी प्र0–18:35 | आपतिकर्ता–श्री आलोक कुमार पांडे, पिता–श्री रामऐकबाल पांडे, परमिट स0–BR2024-SC-2063A आवृत वाहन सं0–BR05PB-7388 मार्ग–रक्सौल–सिवान मार्ग सं0–2465 डा0 आवेदक महम्मदपुर से खजुरिया की दूरी 12 कि0मी0 को 12 मिनट में तय कर रहे हैं, जबकि 60 कि0मी0 प्रतिघंटा की मानक समय है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक ठहराव बिंदु के मध्य निर्धारित समय पर पहुँचने के लिए वाहन को मानक गति से अधिक तीव्र गति से परिचालन कर रहा है, जिससे दुर्घटना की प्रबल सम्भावना है। | BR05PB-7388 नि0तिथि–05.07.24 टैक्स–29.09.25 फिट0–04.07.26 बीमा–03.07.26 प्रदूषण–14.07.26 VLTD–24.07.26 जुर्माना–नही | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदित वाहन के बैनर **NRA गुडिया** के अंतर्गत वाहन पर बकाये जुर्माना आदि का उल्लेख उक्त क्रमांक–15 में वर्णित है। | | आपतिकर्ता द्वारा जिस पूर्व निर्णय का उदाहरण देते हुए आपत्ति दिया गया है, उस मामले में लगातार अधिकतम बिंदुओं के मध्य 60 कि0 मी0 प्रति घंटा की स्थिति बन रही थी। जबकि इस मामले में मात्र एक बिंदु के मध्य 60 कि0मी0 प्रति घंटा की गति हो रही है। ऐसे में आपत्ति मान्य नही है। अतः **परमिट स्वीकृत।** |
| 19 | श्री संजीव कुमार तिवारी, पिता–श्री नरेन्द्र नाथ तिवारी, ग्राम–तिवारी चकिया पो0–हुस्सेपुर, थाना– भोरे, जिला–गोपालगंज बैनर का नाम– **श्रेया ट्रेवल्स।** | BR07P-3612 नि0तिथि 15.12.10 टैक्स–30.11.25 फिटनेश–05.06.26 बीमा–25.06.26 प्रदूषण–31.08.26 VLTD–10.06.26 जुर्माना–नही H.S.R.P–हॉ | जगदीशपुर – गोपालगंज **मार्गसं0–3860** जगदीशपुर प्र0 –07:10 गोपालगंज प्र0 –14:16 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* | | **स्वीकृत।** |
| 20. | श्री अमरेन्द्र राय, पति–भरत राय, ग्राम–डुमरहर बुर्जग, पो0–डुमरहर खुर्द, थाना–दरौली, जिला–सारण। **बैनर का नाम– जय सिया राम।** | BR29R-8448 नि0तिथि–20.10.14 टैक्स–19.01.26 फिटनेश–02.07.26 बीमा–10.06.26 प्रदूषण–28.01.26 VLTD–15.06.26 जुर्माना–नही H.S.R.P–नही | मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–2183** मेहरौना प्र0–08:12 सिवान प्र0–10:05 **मेहरौना प्र0–12:10** सिवान प्र0–14:36 | आपतिकर्ता–श्री कैलाश गुप्ता, पिता–श्री भोला गुप्ता, परमिट सं0– BR2022-SC-0414A आवृत वाहनसं0– BR29PA-0830 मार्ग–मेहरौना–सिवान, मार्गसं0–2183 आपतिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है :– आवेदक मेहरौना प्र0–12:10 आपतिकर्ता मेहरौना प्र0–12:10 अंतराल–00 मिनट | BR29PA-0830 नि0ति0–20.11.15 टैक्स–13.02.26 फिट0–10.02.26 बीमा–24.03.26 प्रदू0–21.11.26 VLTD–21.01.26 | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दि0–06.08.20 को निर्गत है।* आवेदित वाहन पर HSRP अधिष्ठापित नहीं है। **कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR29PA-0830, परमिट सं0– BR2022-SC-0414A वैधता–23.02.2027 का **मेहरौना पुल में प्र0 समय 12:10 तथा आवेदक का प्र0 समय 12:10 है।** समय अंतराल–00 मिनट। *(इस वाहन से आपत्ति भी दी गई है।)* | BR29PA-0830 नि0ति0–20.11.15 टैक्स–13.11.25 फिट0–10.02.26 बीमा–24.03.26 प्रदू0–18.11.25 VLTD–21.01.26 | कार्यालय तथ्य में उल्लेखित वाहन, जिससे आपत्ति भी प्राप्त है, के समय–सारणी से मेहरौना में सामान समय होने की स्थिति में **द्वितीय ट्रिप कटाव** के साथ एवं HSRP अधिष्ठापित नहीं होने के कारण मो0 5000/– रू0 जुर्माना तथा HSRP अधिष्ठापित कराकर साक्ष्य उपलब्ध कराने के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | श्री मुन्ना सिंह,<br>पिता–श्री हरिशंकर सिंह,<br>ग्राम–बरहारा,<br>पो0+थाना–भोरे,<br>जिला–गोपालगंज<br>बैनर का नाम–<br>**राज ट्रेवल्स।** | BR22PA-5706<br>नि0तिथि–09.02.11<br>टैक्स–05.02.26<br>फिटनेश–09.01.26<br>बीमा–09.02.26<br>प्रदूषण–04.01.26<br>VLTD–01.02.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | जगदीशपुर – गोपालगंज<br>**मार्गसं0–3860**<br>जगदीशपुर प्र0 –08.05<br>गोपालगंज प्र0 –14.58 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।* | | **स्वीकृत।** |
| 22 | सलीमुन नेशा,<br>पति–स्व0 बहारन मियाँ, ग्राम–बिन्दुसार बुजुर्ग,<br>थाना–महादेवा ओ0पी0, जिला–सिवान।<br>बैनर का नाम–<br>**बाबु बिहार।** | BR29PB-0786<br>नि0तिथि–17.04.23<br>टैक्स–28.12.25<br>फिटनेश–21.04.27<br>बीमा–07.09.26<br>प्रदूषण–12.08.26<br>VLTD–01.05.27<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | गौशाला रोड सिवान–बड़ेया<br>**मार्ग सं0–3784**<br>गौशाला रोड सिवान प्र0–06:20<br>बड़ेया प्र0–09:01<br>गौशाला रोड सिवान प्र0–11:35<br>बड़ेया प्र0–14:45 | आपत्ति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनाक–02.01.2025 को निर्गत है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर बाबु बिहार के अंतर्गत वाहन स0– BR06PD -0936 & BR29PA-1635 का बीमा अद्यतन करा लिया गया है। | | **स्वीकृत।** |
| 23 | अब्दुल हनान,<br>पति–हारून रसीद,<br>पता–तकिया, याकूब, गोपालगंज।<br>बैनर का नाम–<br>**दानिश।** | BR28P-2333<br>नि0तिथि–20.03.20<br>टैक्स–17.12.2025<br>फिटनेश–20.03.26<br>बीमा–16.03.26<br>प्रदूषण–15.03.26<br>VLTD–11.05.27<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | बेतिया बस स्टैण्ड–सिवान<br>**मार्ग सं0–4011डा**<br>बेतिया प्र0–05:09<br>सिवान प्र0–07:59<br>बेतिया प्र0–10:25<br>सिवान प्र0–13:35<br>बेतिया प्र0–17:04<br>सिवान प्र0–20:21 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनाक–25.03.2021 को निर्गत है।* | | **आवेदन वापस** |
| 24 | अब्दुल हनान,<br>पति–हारून रसीद,<br>पता–तकिया, याकूब, गोपालगंज।<br>बैनर का नाम–<br>**दानिश।** | BR28P-8032<br>नि0तिथि–25.09.24<br>टैक्स–23.12.2025<br>फिटनेश–24.09.26<br>बीमा–23.09.26<br>प्रदूषण–22.09.26<br>VLTD–19.01.29<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | सिवान–गोपालगंज<br>**मार्ग सं0–2191**<br>सिवान प्र0–04:25<br>गोपा0 प्र0–06:30<br>सिवान प्र0–09:10<br>गोपा0 प्र0–11:40<br>सिवान प्र0–13:45<br>**गोपा0प्र0–15:58**<br>सिवान प्र0–18:05<br>गोपा0 प्र0–19:29<br>सिवान प्र0–20:35<br>गोपा0 प्र0–21:55<br>सिवान प्र0–23:20<br>गोपा0 प्र0–00:35 | आपतिकर्ता–श्री ज्योतिन्द्र कुमार, पिता–श्री विक्रमा दित्य सिंह, परमिट सं0– BR/109/SC/2015/236 आवृत वाहन सं0–BR04Q-3251<br>मार्ग–सिवान–गोपालगंज, मार्गसं0–2191<br>आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :–<br>आवेदक मीरगंज प्र0–14:30<br>आपतिकर्ता मीरगंज प्र0–14:30<br>अतराल–00 मिनट | BR04Q-3251<br>नि0ति0–30.04.15<br>टैक्स–22.01.26<br>फिट0–21.07.26<br>बीमा–06.03.26<br>प्रदू0–09.09.26<br>VLTD–03.07.26 | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनाक–04.09.2024 को निर्गत है।*<br>**कार्यालय अभिलेख से** मिलान करने पर वाहन स0–BR19F-3339, परमिट स0–, BR2025-SC-0277A वैधता–03.02.2030 का **गोपालगंज में प्र0 समय 16:02 तथा आवेदक का प्र0 समय 15:58 है।**<br>समय अतराल–04 मिनट | BR19F-3339<br>नि0ति0–02.05.13<br>टैक्स–16.09.25<br>फिट0–03.11.25<br>बीमा–02.02.26<br>प्रदू0–01.08.26<br>VLTD–12.10.25 | **आवेदन वापस** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | श्री सत्येन्द्र नाथ मिश्रा, पिता–स्व0 ठाकुर मिश्रा, पता–राजा बाजार, मोतिहारी।<br>बैनर का नाम–<br>**मिश्रा बन्धु।** | BR05PB-6155<br>नि0तिथि–25.07.22<br>टैक्स–10.01.26<br>फिटनेश–24.07.26<br>बीमा–10.07.2026<br>प्रदूषण–24.07.26<br>VLTD–04.07.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हॉं | रक्सौल–गुठनी<br>**मार्ग सं0 3675**<br>रक्सौल प्र0–08:28<br>गुठनी प्र0–13:41 | आपतिकर्ता–श्री अनिषक कुमार, पिता–श्री राम तपस्या पुरी, परमिट स0–BR2023-SC-2214A आवृत वाहन स0– BR28P-1992, मार्ग–सिवान–मोतिहारी, मार्गस0–2199<br>आपतिकर्ता का आपति है कि–<br>(1) आवेदक पहले खेप मे सुगौली से छापर्वा की दूरी 04 कि0मी0 दे रहे है तथा द्वितीय खेप मे छपर्वा से सुगौली की दूरी 05 कि0मी0 दे रहे है।<br>(2) आवेदक सिवान से गुठनी 35 कि0मी0 को 35 मिनट मे तय कर रहे हैं, परन्तु ठहराव बिंदु पर रूकने के पश्चात् वाहन चलते ही 60 कि0मी0 का स्पीड नही हो सकता है। | BR28P-1992<br>नि0ति0–08.01.20<br>टैक्स–29.09.25<br>फिट0–12.03.26<br>बीमा–18.05.26<br>प्रदु0–08.09.26<br>VLTD–18.02.26 | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनाक–13.10.2022 को निर्गत है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर **मिश्रा बन्धु** के अतर्गत वाहन स0– BR05PB -5204 पर 10500/–रूपये जुर्माना दिनाक–11.08.2025 से बकाया है।<br>प्राप्त आपति के सबध मे आवेदक द्वारा आवेदन के माध्यम से कहा गया है कि टकण भूलवश सुगौली से छपर्वा की दूरी 04 कि0मी0 के स्थान पर 05 कि0मी0 अंकित हो गया है। | | सुगौली से छपर्वा के बीच दूरी के दोनो ही परिस्थितियो मे गति सीमा का उल्लघन नही हो रहा है।<br>आपतिकर्ता द्वारा जिस पूर्व निर्णय का उदाहरण देते हुए आपति दिया गया है, उस मामले मे लगातार अधिकतम बिंदुओ के मध्य 60 कि0 मी0 प्रति घटा की स्थिति बन रही थी। जबकि इस मामले मे ऐसा नही है।<br>अतः आवेदक के बैनर के अतर्गत वाहन पर आवेदन के पूर्व से जुर्माना बकाया रहने के कारण **मो0– 10000/–रू0** जुर्माना के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।** |
| 26 | श्रीमति गरिमा कुमारी, पति– श्री हरेन्द्र सिंह, ग्राम–भडकुईयाँ, पो0+थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज<br>बैनर का नाम–<br>**न्यू जय मता दी** | BR28P-0719<br>नि0तिथि 05.04.18<br>टैक्स–04.10.26<br>फिटनेश–22.07.26<br>बीमा–01.09.26<br>प्रदूषण–24.01.26<br>VLTD–18.07.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हॉं | बढेया–सिवान<br>**मार्ग सं0–3784 डा0**<br>बढेया प्र0–04:35<br>सिवान प्र0–07:50<br>बढेया प्र0–09:47<br>सिवान प्र0–12:41<br>बढेया प्र0–14:05<br>सिवान प्र0–15:55 | आपति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* | | **स्वीकृत।** |
| 27 | श्री सत्येन्द कुमार सिंह, पिता–श्री विश्वनाथ सिंह, ग्राम+पो0–मीरा मुसेहरी, थाना–छपरा मुफसिल, जिला–सारण।<br>बैनर का नाम–<br>**जय हनुमान।** | BR04E-4863<br>नि0तिथि–08.02.08<br>टैक्स–31.01.2026<br>फिटनेश–30.01.26<br>बीमा–14.02.26<br>प्रदूषण–24.03.26<br>VLTD–27.04.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हॉं | मशरक–छपरा<br>**मार्ग सं0–2164**<br>मशरक प्र0–11:10<br>छपरा प्र0–14:10 | आपति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनाक–11.12.2018 को निर्गत है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर जय हनुमान के अतर्गत वाहन स0– BR04J-1222 का VLTD अद्यतन करा लिया गया है। | | **स्वीकृत।** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | श्री सुरेश प्रसाद यादव, पिता– स्व0 राम जन्म राय, ग्राम–लोदीपुर, पो0–विराद, थाना– डोरीगंज, जिला–छपरा। बैनर का नाम– **दानी मौर्यध्वज।** | BR04PA-9613<br>नि0तिथि–03.03.25<br>टैक्स–27.11.2025<br>फिटनेश–02.03.27<br>बीमा–27.02.26<br>प्रदूषण–02.03.26<br>VLTD–27.04.27<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | सिवान–छपरा मार्ग सं0–3977 डा0<br><br>सिवान प्र0–04:25<br>छपरा प्र0–09:05<br>सिवान प्र0–11:49<br>छपरा प्र0–15:32 | आपतिकर्ता–श्री राजु कुमार साह, पिता–श्री रामानंद साह, परमिट सं0–BR2025-SC-2808A आवृत वाहन सं0– BR01PS-9798, मार्ग–सिवान–छपरा, मार्गसं0–3977<br>आपतिकर्ता का आपति है कि–<br>आवेदक का बैनर पर परिचालित हो रही वाहनो पर 2022 से लंबित ट्रैफिक चालान वाले वाहन का नं0 निम्नवत् है:–<br>BR04G-5013,<br>BR28P-8513,<br>BR04PA -5991,<br>BR04G-4913,<br>BR04PA-8113,<br>BR28L-8513 &<br>BR01PH-5671 | BR01PS-9798<br>नि0ति0–09.06.25<br>टैक्स–03.12.25<br>फिट0–08.06.27<br>बीमा–29.05.26<br>प्रदू0–08.06.26<br>VLTD–30.07.27 | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर **दानी मौर्यध्वज** के अंतर्गत वाहन सं0– BR04S -6513, BR04PA- 8613, BR04G-8813 & BR29PA-9813 पर कुल– 38610/–रुपये का बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है।<br>वाहन पोर्टल के अनुसार आपत्ति मे उल्लेखित वाहन सं0– BR28P-8513 पर कुल–20500/–रू0 जुर्माना बकाया है। शेष वाहनो पर जुर्माना बकाया नही है। | | आवेदक के बैनर के अंतर्गत वाहन पर आवेदन के पूर्व से जुर्माना बकाया रहने के कारण **मो0 10000/–रू0** जुर्माना एवं पूर्व से सभी बकाया जुर्माना जमा करने के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।** |
| 29. | अब्दुल हनान, पति–हारुन रसीद, पता–तकिया, याकूब, गोपालगंज। <br><br>बैनर का नाम– **दानिश** | BR01PP-4647<br>नि0तिथि 23.09.22<br>टैक्स–11.12.2025<br>फिटनेश–22.09.26<br>बीमा–21.09.2026<br>प्रदूषण–10.09.26<br>VLTD–14.10.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199**<br><br>सिवान प्र0–06:10<br>मोति0 प्र0–09:17<br>सिवान प्र0–12:55<br>मोति0 प्र0–16:45 | आपतिकर्ता–श्री आलोक कुमार पांडे, पिता–श्री रामऐकबाल पांडे, परमिट सं0–BR2024-SC-2063A आवृत वाहन सं0– BR05PB-7388 मार्ग–रक्सौल–सिवान, मार्ग सं0–2465 डा0<br>आवेदक खजुरिया से मोतिहारी की 45 कि0मी0 की दूरी मात्र 05 मिनट मे आवेदन मे तय करने के लिए जिक्र किये हैं, जो गति सीमा का घोर उल्लंघन हो रहा है। | BR05PB-7388<br>नि0तिथि–05.07.24<br>टैक्स–29.09.25<br>फिट0–04.07.26<br>बीमा–03.07.26<br>प्रदूषण–14.07.26<br>VLTD–24.07.26<br>जुर्माना–नही | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*<br>*आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया है कि वास्तविक में खजुरिया से मोतिहारी की दूरी 57 मिनट मे तय किया जा रहा है। टंकण भूलवश 57 के स्थान पर 05 मिनट अंकित हो गया है।* | | प्रस्थान एवं आगमन के आधार पर खजुरिया से मोतिहारी की 45 कि0मी0 की दूरी 57 मिनट मे तय किया जा रहा है, जिसे टंकण भूलवश 05 मिनट अंकित किया गया है। उक्त तथ्य को आवेदक ने भी स्वीकार किया है।<br>अतः समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने के कारण **मो0 5000/ – रू0** जुर्माना के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | श्री अभिषेक कुमार<br>पिता- राम तपस्या<br>पुरी, ग्राम-रामपुर<br>खजुरिया, थाना-<br>डुमरियाघाट,<br>जिला- पूर्वी<br>चम्पारण।<br>बैनर का नाम-<br>माँ वैष्णव। | BR28P-1992<br>नि0तिथि 08.01.20<br>टैक्स-29.12.25<br>फिटनेश-12.03.26<br>बीमा-18.05.26<br>प्रदूषण-08.09.26<br>VLTD-18.02.26<br>जुर्माना-नही<br>H.S.R.P-हाँ | सिवान-मोतिहारी<br>मार्ग सं0-2199<br>सिवानप्र0-06.32<br>मोति0प्र0-11.20<br>सिवानप्र0-15.33<br>मोति0प्र0-19.12 | आपतिकर्ता-श्री देवन्द्र कुमार,<br>पिता-श्री प्रद्युनाथ प्रसाद, परमिट<br>सं0- BR2023-SC-2937A आवृत<br>वाहन सं0- BR06PF-7592 मार्ग-<br>सिवान-रक्सोल, मार्गसं0-2465<br>आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है<br>:-<br>आवेदक मीरगज प्र0-07.06<br>आपतिकर्ता मीरगज प्र0-07.07<br>अंतराल-01 मिनट<br>साथ ही पहले आओ पहले पाओ के तहत क्रमाक-18 पर मेरे वाहन सं0-BR06GC-9747 मार्ग 2199 सिवान से मोतिहारी पर स्थायी परमिट हेतु मेरा आवेदन है, जिसमे सिवान प्र0 06.32 है एव आवेदक का भी उसी मार्ग पर सिवान प्र0 06.32 दर्शाया गया है। | BR06PF-7592<br>नि0ति0-26.07.23<br>टैक्स-25.10.25<br>फिट0-24.07.27<br>बीमा-13.03.26<br>प्रदू0-15.07.26<br>VLTD-23.08.26 | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनाक-04.08 2023 को निर्गत है।* | | आपतिकर्ता द्वारा अपने दो वाहनों से अलग-अलग बिंदुओं पर समय-सारणी का टकराव होने के संबध मे आपति किया गया है, जिसमें से दूसरे वाहन सं0- BR06 GC-9747 का नया आवेदित समय- सारणी है, जो क्रमाक-18 पर मार्ग सं0-2199 के लिए स्वीकृत है।<br>चूंकि आपतिकर्ता द्वारा आवेदित मार्ग पर पहले आवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति मे यह आपति मान्य है।<br>अतः आपति के आलोक में **प्रथम ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।** |
| 31. | श्री अभिषेक कुमार,<br>पिता-स्व0 राजेन्द्र<br>सिंह ग्राम-दादनपुर,<br>पो0+थाना-मकेर,<br>जिला-सारण<br>बैनर का नाम-<br>अरूण ट्रेवल्स। | BR06PG-7842<br>नि0तिथि-20.08.25<br>टैक्स-13.11.25<br>फिटनेश-19.08.27<br>बीमा-17.08.26<br>प्रदूषण-19.08.26<br>VLTD-14.09.27<br>जुर्माना-नही<br>H.S.R.P-हाँ | बैरिया-माँझी<br>मार्ग सं0-3957<br>डा0<br>बैरिया प्र0-06.15<br>माँझी प्र0-12.30 | आपत्ति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*<br>*है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर अरूण ट्रेवल्स के अंतर्गत वाहन सं0-BR06PE -6145 पर 23000/-रूपये जुर्माना दिनाक-05.04.2024 से बकाया है। साथ ही उक्त वाहन का बीमा दि0 24.08.25 से फेल है एव इसके अतिरिक्त वाहन सं0-BR06PG-6028 का टैक्स तथा वाहन सं0-BR06PB-9498 का VLTD भी क्रमशः दि0 24.08.25 व 29.07.25 से फेल है, जबकि उक्त सभी वाहन परमिट से आवृत है। | | आवेदित समय-सारणी मे अधिकतम बिंदुओं के मध्य समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, जिसे आगमन एव प्रस्थान के आधार पर संशोधित करने पर परिलक्षित होता है कि **द्वितीय ट्रिप में माँझी से छपरा** की दूरी 18km अंकित करते हुए उसे 55 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अनुसार गति सीमा **19.6 km/h** हो रहा है, जो प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गति सीमा का उल्लघन है।<br>अतः उक्त के कारण **आवेदन अस्वीकृत।** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | श्रीमती मीनू सिंह<br>पति–श्री प्रेमनाथ सिंह,<br>ग्राम+पो0+<br>थाना–मीरगज,<br>जिला–गोपालगंज<br>**बैनर का नाम–**<br>**लव–कुश** | BR28E-9751<br>नि0तिथि–16.11.12<br>टैक्स–15.11.25<br>फिटनेश–15.12.25<br>बीमा–22.07.26<br>प्रदूषण–03.12.25<br>VLTD–21.11.25<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | मोतिहारी–सिवान<br>**मार्ग सं0–4077**<br>मोति0 प्र0–07:22<br>सिवान प्र0–12:10 | आपतिकर्ता–श्री उमाकांत कुमार सिंह, पिता–स्व0 किशोरी सिंह, परमिट सं0– BR2023-SC-2937A आवृत वाहन सं0– BR05PA-2260 मार्ग–मोतिहारी–सिवान, मार्ग सं0–4077<br>आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :–<br>आवेदक मोति0<br>प्र0–07:22<br>आपतिकर्ता मोति0<br>प्र0–07:27<br>अतराल–05 मिनट<br>साथ ही प्रकाशित गाडी पर करीब 20 लाख सरकार का बकाया है, जो गाडी BSRTC मे परिचालन हो रहा है। सरकार का पत्र दिनाक– 06.09.97 मे कोई कर बकाया है तो परमिट नही दिया जायेगा। | BR05PA-2260<br>नि0ति0–14.11.14<br>टैक्स–13.11.25<br>फिट0–04.03.26<br>बीमा–13.11.25<br>प्रदू0–28.08.26<br>VLTD–17.01.26 | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।*<br>**कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR05PB-0347, परमिट सं0– BR2023-SC-1756A वैधता–20.06.2028 **का मोतिहारी मे प्र0 समय 07:21 तथा आवेदक का प्र0 समय 07:22 है।**<br>समय अंतराल–01 मिनट<br>आपतिकर्ता द्वारा आवेदिका के नाम से निबंधित वाहनो की दी गई सूची यथा–BR28E-9751, BR28E-9851 & BR28E-8851 पर वाहन पोर्टल के अनुसार कोई बकाया नही है।<br>आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया है कि कार्यालय अभिलेख मे उल्लेखित वाहन का पूर्व बैठक मे परमिट स्वीकृत है, जो तकनीकी कारणो से अभीतक परमिट निर्गत नही हुआ है।<br>कार्यालय अभिलेख के अनुसार वर्तमान मे उक्त वाहन का परमिट निर्गत हो गया है। | BR05PB-0347<br>नि0ति0–16.02.19<br>टैक्स–12.11.25<br>फिट0–28.02.27<br>बीमा–10.02.26<br>प्रदू0–11.11.25<br>VLTD–06.03.26 | सुनवाई के क्रम मे आपतिकर्ता द्वारा आवेदिका पर BSRTC का लगभग 20 लाख रूपये बकाया रखने का आरोप लगाया गया जिस पर आवेदिका की ओर से उक्त आरोप को झूठा बताते हुए कहा गया कि BSRTC का कोई भी राजस्व बकाया नही है।<br>उपरोक्त वर्णित स्थिति मे इस शर्त के साथ परमिट की स्वीकृति दी जाती है कि आवेदिका इस आशय का शपथ– पत्र समर्पित करेगी कि ***"मेरे उपर BSRTC / परिवहन विभाग का कोई भी राजस्व बकाया नहीं है एवं यदि उक्त आरोप भविष्य में सही पाए जाते हैं तो मेरे वाहन का परमिट रद्द करने के साथ –साथ मेरे विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।"***<br>उक्त शपथ–पत्र समर्पित करने पश्चात् ही परमिट निर्गमण की कार्रवाई की जायेगी। |
| 33 | श्री शिवेन्द राय,<br>पिता–श्री बृजकिशोर राय, ग्राम–बशी बतराहा, पो0–मिश्रबतराहा, थाना–फुलवरिया,<br>जिला–गोपालगंज<br>बैनर का नाम– **राय रोड लाईस।** | BR28P-4380<br>नि0तिथि–10.11.15<br>टैक्स–12.02.2026<br>फिटनेश–17.11.26<br>बीमा–16.09.26<br>प्रदूषण–27.02.26<br>VLTD–05.09.26<br>जुर्माना–नही<br>H.S.R.P–हाँ | सिवान–समउर<br>**मार्ग सं0–3698**<br>सिवान प्र0–04:20<br>समउर प्र0–07:30<br>सिवान प्र0–09:40<br>समउर प्र0–12:30<br>सिवान प्र0–15:15<br>समउर प्र0–18:10 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।* | | स्वीकृत। |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | श्री प्रमोद कुमार सिंह<br>पिता- शरत भूषण सिंह,<br>पता- झखड़ा, पिपरा<br>कोठी, पू0 चम्पारण।<br>बैनर का नाम-<br>**रमणा।** | BR06PE-2809<br>नि0तिथि 14.05.19<br>टैक्स-07.01.26<br>फिट0-09.06.27<br>बीमा-21.06.26<br>प्रदूषण-11.06.26<br>VLTD-28.05.26<br>जुर्माना-नहीं<br>H.S.R.P-हाँ | रक्सौल-गुठनी<br>**मार्गस0 3675डा0**<br>रक्सौल प्र0-04.43<br>गुठनी प्र0-10:10 | आपतिकर्ता-श्री अभिषेक कुमार,<br>पिता- श्री राम तपस्या पुरी, परमिट<br>स0-BR2023-SC-2214A आवृत वाहन<br>स0- BR28P-1992,<br>मार्ग-सिवान-मोतिहारी, मार्गस0-2199<br>आपतिकर्ता का आपति है कि -<br>आवेदक गोपालगज से मोहम्मदपुर कि दूरी 30 कि0मी0 दे रहे हैं, जबकि उक्त मार्ग मे गोपालगज से महम्मदपुर कि वास्तविक दूरी 32 कि0मी0 है तथा उक्त मार्ग पर जितने भी आवेदन मार्ग 3675 पर दिया है, उसमे सही दूरी 32 कि0मी0 दर्शाया गया है।<br>आवेदनकर्ता दूरी को कम कर समय कम ले रहे हैं। आवेदनकर्त्ता 19 गाडी का परमिट लिए हुए हैं एव 08 गाडी का परिचालन करते हैं। | BR28P-1992<br>नि0ति0-08.01.20<br>टैक्स-29.09.25<br>फिट0-12.03.26<br>बीमा-18.05.26<br>प्रदू0-08.09.26<br>VLTD-18.02.26 | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज0 प्राधिकार से दिनाक-09.06.2023 को निर्गत है।*<br>आवेदित वाहन के बैनर रमणा के अतर्गत वाहन स0-BR05PB- 8452 पर 4000/- रू0 का जुर्माना दिनाक-02.09.25 से बकाया है। | | आवेदक द्वारा अपने परमिट आवदन के सबध मे दूसरे वाहन स्वामी के आवेदन से प्रभावित होने का उल्लेख करते हुए अपने वाहन का परमिट नहीं लेने हेतु आवेदन दिया गया है।<br>अत: वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक मे आवेदन **अस्वीकृत ।** |
| 35 | श्रीमती मीनू सिंह<br>पति-श्री प्रेमनाथ सिंह,<br>ग्राम+पो0+<br>थाना-मीरगंज,<br>जिला-गोपालगंज<br>**बैनर का नाम-<br>लव-कुश** | BR28G-9551<br>नि0तिथि-16.10.14<br>टैक्स-15.01.26<br>फिटनेश-15.04.26<br>बीमा-04.04.26<br>प्रदूषण-03.04.26<br>VLTD-24.12.25<br>जुर्माना-नहीं<br>H.S.R.P-हाँ | मोतिहारी-सिवान<br>**मार्ग सं0-4077**<br>मोति0 प्र0-07:13<br>सिवान प्र0-11:58 | आपतिकर्ता-श्री उमाकांत कुमार सिंह,<br>पिता-स्व0 किशोरी सिंह, परमिट स0-BR2025-SC-2061A आवृत वाहन स0-BR05PB-2985,मार्ग-रक्सौल-गुठनी, मार्ग स0-3675<br>आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :-<br>आवेदक मोति0 प्र0-07:13<br>आपतिकर्ता मोति0 प्र0-07:16<br>अतराल-03 मिनट<br>बिहार सरकार द्वारा निर्गत 06.09.1991 का है कि किसी वाहन स्वामी पर किसी प्रकार का कोई सरकारी कर बकाया है, तो उसे परमिट या रिनियूल नहीं किया जायेगा। प्रकाशित वाहन पर करीब 15 से 20 लाख रूपया बकाया है एव यह वाहन BSRTC मे परिचालन होता है। | BR05PB-2985<br>नि0ति0-28.01.20<br>टैक्स-20.10.25<br>फिट0-27.02.26<br>बीमा-05.01.26<br>प्रदू0-12.12.25<br>VLTD-11.02.26 | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।*<br>आवेदित वाहन मे पूर्व से HSRP अधिष्ठापित होने का साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया है।<br>आपतिकर्त्ता द्वारा आवेदिका के नाम से निबंधित वाहनों की दी गई सूची यथा-BR28E-9751, BR28E-9851 & BR28E-8851 पर वाहन पोर्टल के अनुसार कोई बकाया नहीं है।<br>आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया है कि मोतिहारी आपतिकर्ता का मध्य बिंदु है, जहाँ 03 मिनट का अतराल है। | | आपति के बिंदु मोतिहारी मे प्राधिकार द्वारा पूर्व से निर्धारित समय अतराल के अनुसार निम्नतम समय अतराल का अनुपालन हो रहा है।<br>अत: उपरोक्त ऐजेण्डा क्रमाक-32 पर लगाये गये शर्त के साथ **परमिट स्वीकृत।** |
| 36 | श्री शिवेन्द्र राय,<br>पिता-श्री बृजकिशोर राय, ग्राम-बंशी बतराहा, पो0-मिश्रबतराहा, थाना-फुलवरिया,<br>जिला-गोपालगज<br>बैनर का नाम- **राय रोड लाईंस।** | BR28P-8021<br>नि0तिथि-02.06.16<br>टैक्स-14.01.2026<br>फिटनेश-25.08.26<br>बीमा-23.08.26<br>प्रदूषण-15.02.26<br>VLTD-05.09.26<br>जुर्माना-नहीं<br>H.S.R.P-हाँ | गोपालगंज-पगरा<br>**मार्ग सं0-4101**<br>गोपा0 प्र0-03:25<br>पगरा प्र0-07:20<br>गोपा0 प्र0-10:15<br>पगरा प्र0-12:40<br>गोपा0 प्र0-15:15<br>पगरा प्र0-18:20 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।* | | **आवेदन वापस** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | श्रीमति नन्दनी कुमारी, पति- श्री अमित कुमार, ग्राम- पुरैना, पो0- राछोपाली, थाना- बडहरिया, जिला-सिवान। बैनर का नाम- **पवन ट्रेवल्स।** | BR29PB-5011 नि0तिथि-16.07.25 टैक्स- 14.10.2025 फिटनेश-15.07.27 बीमा-14.07.26 प्रदूषण-15.07.26 VLTD-10.08.27 जुर्माना-नही H.S.R.P-नही | शेर विशुनपुरा- सिवान **मार्ग सं0-2198** शेर विशुनपुरा प्र0 -07:00 सिवान प्र0-11:25 शेर विशुनपुरा प्र0 -12:55 सिवान प्र0-16:30 | आपतिकर्ता- श्री प्रशुन कुमार, पिता- मिथलेन्द्र राय, परमिट सं0- न्यू आवेदन मार्ग- शेर विशुनपुरा-सिवान, मार्ग सं0-2198 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:- आवेदक शेर विशुनपुरा प्र0 -07:00 आपतिकर्ता शेर विशुनपुरा प्र0 -07:55 अतराल-55 मिनट आवेदक बढेया प्र0 -08:15 आपतिकर्ता बढेया प्र0 -08:20 अंतराल-05 मिनट आवेदक बढेया मे 07:20 में पहुँचकर 08:15 मे प्रस्थान कर रहे है, जो कि प्रस्थान करने मे 55 मिनट का समय लग रहा है। साथ ही आवेदक के बैनर तले वाहन सं0-BR06P-5730 पर 26500/- एवं BR31P-0459 पर 5500/- रू0 जुर्माना बकाया है। | BR30PA-2425 नि0तिथि- 08.11.19 टैक्स-31.10.2025 फिटनेश-16.11.25 बीमा-13.05.26 प्रदूषण-11.02.26 VLTD-30.08.26 जुर्माना-नही H.S.R.P-हाँ | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नही है। आवेदित वाहन के बैनर पवन ट्रेवल्स के अंतर्गत वाहन सं0-BR29PA -5011 का बीमा एवं फिटनेश फेल है, जबकि उक्त वाहन परमिट से आवृत है। साथ ही वाहन सं0- BR29H-5011 पर 43000/-रू0 जुर्माना दिनाक-22.10.24 से बकाया है। वाहन पोर्टल के अनुसार आपति मे उल्लेखित वाहन सं0- BR06P-5730 पर 26500/- जुर्माना बकाया है एवं BR31P-0459 पर कोई जुर्माना बकाया नही है। | | आपति के अनुसार न्यूनतम समय अतराल का अनुपालन हो रहा है, परन्तु आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नही है एवं आवेदक के बैनर के अतर्गत कई वाहनो का कागजात अदयतन नही है एवं पूर्व से जुर्माना भी बकाया है। अतः HSRP अधिष्ठापित नही होने के कारण मो0 5000/- रू0 एवं पूर्व से बकाया जुर्माना जमा नही करने तथा आवश्यक कागजात अदयतन नही कराने के कारण मो0 10000/- रू0 यानि कुल- **15000/-रूपये जुर्माना एवं HSRP** अधिष्ठापित कराने के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।** |
| 38. | श्री प्रशुन कुमार, पिता-श्री मिथलेन्द्र राय, ग्राम-महदार नगर मुरसंड, पो0+थाना+जिला- सितामढी बैनर का नाम- **पियुष ट्रेवल्स।** | BR30PA-2425 नि0तिथि-08.11.19 टैक्स-31.01.2026 फिटनेश-16.11.25 बीमा-13.05.26 प्रदूषण-11.02.26 VLTD-30.08.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ | शेर विशुनपुरा- सिवान **मार्ग सं0-2198** शेर विशुनपुरा प्र0 -07:55 सिवान प्र0-10:55 शेर विशुनपुरा प्र0 -12:15 सिवान प्र0-17:00 | आपत्ति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज0 प्राधिकार से दिनाक-09.12.2019 को निर्गत है।* | | **स्वीकृत।** |
| 39. | श्री हृदया नंद सिंह, पिता-स्व0 रामजीत सिंह, ग्राम-पुरैना, पो0- राछोपाली, थाना- बडहरिया, जिला-सिवान। बैनर का नाम- **पवन ट्रेवल्स।** | BR04Q-8939 नि0तिथि-16.04.16 टैक्स-15.10.2025 फिटनेश-01.09.26 बीमा-28.08.26 प्रदूषण-29.08.26 VLTD-29.08.26 जुर्माना-नही H.S.R.P-नही | शेर विशुनपुरा- सिवान **मार्ग सं0-2198** शेर विशुनपुरा प्र0 -05:55 सिवान प्र0-09:32 शेर विशुनपुरा प्र0 -11:30 सिवान प्र0-15:15 | आपत्ति प्राप्त नहीं। | | *आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदित वाहन मे HSRP अधिष्ठापित नही है। आवेदित वाहन के बैनर पवन ट्रेवल्स के अंतर्गत वाहन सं0-BR29PA -5011 का बीमा एवं फिटनेश फेल है, जबकि उक्त वाहन परमिट से आवृत है। साथ ही वाहन सं0- BR29H-5011 पर 43000/-रू0 जुर्माना दिनाक-22.10.24 से बकाया है। | | **क्रमांक-37** मे लगाये गये शर्त का अनुपालन होने एवं आवेदित वाहन मे HSRP अधिष्ठापित नही होने के कारण मो0 5000/-रूपये जुर्माना एवं HSRP अधिष्ठापित कराने के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।** |

माह-नवम्बर, 2025 के लिए प्राप्त आवेदन:-

| क्र0 स0 | वाहन स्वामी का नाम, पता एव बैनर | वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एव कागजातो की वैधता | मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय | आपति | आपत्तिकर्त्ता के वाहन की विवरणी | कार्यालय का तथ्य | कार्यालय तथ्य में वर्णित वाहन की विवरणी | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | श्री राजेश कुमार, पिता-श्री विश्वनाथ प्रसाद, सिनेमा रोड, गोपालगज।<br><br>बैनर का नाम-<br>**KGN** | BR28E-8251<br>नि0तिथि-07.08.12<br>टैक्स-06.01.26<br>फिटनेश-08.04.26<br>बीमा-14.07.26<br>प्रदूषण-11.07.26<br>VLTD-23.04.26<br>जुर्माना-नही<br>H.S.R.P-हॉ | गुठनी-रक्सौल<br>मार्ग स0-3675<br><br>गुठनी प्र0 -04:10<br>रक्सौल प्र0-11:46 | (1) आपतिकर्ता-श्री धनन्जय सिह, पिता-श्री मोगल सिह, परमिट स0- BR2025-SC-2586A आवृत वाहन स0- BR06PA-8897 मार्ग- छपरा - मोतिहारी, मार्ग स0-3972<br>(1) आवेदक का समय खजुरिया से मोतिहारी प्र0 07:40 है तथा मेरा भी प्र0 07:40 है, जो सेम समय है।<br>(2) आवेदक का वाहन का आयु 13 वर्ष 3 महीना हो गया है, जो 400 कि0मी0 ही परिचाहन करना है, जबकि आवेदक गुठनी से रक्सौल प्रतिदिन 0420 कि0 मी0 चल रहे हैं।<br>(आपति आवेदन हस्ताक्षरित नही है।)<br>---<br>(2) आपतिकर्ता-श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-श्री रामईकबाल पाडे, परमिट सं0- BR2024-SC-2063A आवृत वाहन सं0- BR05PB-7388 मार्ग- रक्सौल-सिवान, मार्ग स0-2465<br>(1) आवेदक का वाहन 13 वर्ष 03 माह पुरानी है तथा आवेदनकर्त्ता अपने आवेदन मे गुठनी से रक्सौल की कुल दूरी एक तरफ से 210 कि0मी0 दे रहे है तथा नक्शा से भी 210 कि0मी0 है। इस तरह प्रतिदिन 420 कि0मी0 हो रहा है। 10 से 15 वर्ष की आयु वाले वाहन प्रतिदिन 400 कि0मी0 तक ही चलना है। | BR06PA-8897<br>नि0ति0-08.12.11<br>टैक्स-07.12.25<br>फिट0-18.05.26<br>बीमा-05.07.26<br>प्रदूषण-03.10.25<br>VLTD-02.05.26<br>जुर्माना-नही<br>---<br>BR05PB-7388<br>नि0ति0-05.07.24<br>टैक्स-29.12.25<br>फिट0-04.07.26<br>बीमा-03.07.26<br>प्रदूषण-14.07.26<br>VLTD-24.07.26<br>जुर्माना-नही | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है जो इस प्राधिकार से दिनाक-07.09 2020 को निर्गत है।*<br>आपत्तिकर्त्ता-1 का आपत्ति आवेदन हस्ताक्षरित नही है एवं इनका परमिट भी मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षरित नही है।<br>**ऐसी स्थिति में इनके द्वारा दिये गये आपत्ति विचारणीय नही है।** | | चुंकि आवेदित वॉहन की आयु 10-15 वर्ष के बीच है एव नियमानुसार ऐसे वाहनो को प्रतिदिन 400 कि0मी0 तक ही परिचालन करना है।<br>आवेदक द्वारा आवेदन के माध्यम से कहा गया है कि आवेदित मार्ग का पोर्टल पर दूरी 175 कि0मी0 है एव अपने समय-सारणी मे आवेदित मार्ग की कुल दूरी 210 कि0मी0 दर्शाया गया है, जो उनके ही दोनो आवेदनो मे विरोधाभास है। इस प्रकार आपत्तिकर्त्ता का दावा सही प्रतीत हो रहा है।<br>*समय -सारणी में वर्णित दूरी एव आपत्तिकर्त्ता के आपत्ति से स्पष्ट हो रहा है कि आवेदित मार्ग का वास्तविक दूरी लगभग 210 कि0मी0 ही है।*<br>***अतः उक्त स्थिति में ट्रिप कटाव के कारण आवेदन अस्वीकृत।*** |
| 41 | श्री मंजित कुमार, पिता-श्री सुरेन्द्र पुरी, डुमरियाघाट, जिला- पूर्वी चम्पारण।<br><br>बैनर का नाम-<br>जय माता दी। | BR05PB-8194<br>नि0तिथि-18.02.25<br>टैक्स-09.02.26<br>फिटनेश-17.02.27<br>बीमा-09.02.26<br>प्रदूषण-17.02.26<br>VLTD-12.03.27<br>जुर्माना-नही<br>H.S.R.P-हॉ | सिवान-मोतिहारी<br>मार्ग सं0-2199<br><br>सिवान प्र0-03:05<br>मोतिहारी प्र0-07:03<br>सिवान प्र0-09:45<br>मोतिहारी प्र0-12:46<br>सिवान प्र0-15:33<br>मोतिहारी प्र0-19:10 | आपत्ति प्राप्त नही। | | *आवेदित वाहन परमिट से आवृत है जो इस प्राधिकार से दिनाक-07.05 2025 को निर्गत है।* | | स्वीकृत। |

**कार्यावली सं0–04 – पिंक बसों के अस्थायी परमिट के लिए प्राप्त आवेदन पर विचारण:–**

प्रतिष्ठान अधीक्षक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, छपरा का पत्रांक–300, दिनांक–22.11.2025 एवं पत्रांक–307, दिनांक–25.11.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि महिलाओं/छात्राओं को सुलभ एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छपरा प्रतिष्ठान को 03 (तीन) पिंक बस उपलब्ध करायी गयी है, जिसे नगर सेवा अंतर्गत संचालिया किया जाना है, परन्तु मार्ग अधिसूचित नहीं होने के कारण संचालित बाधित है। उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए 03 (तीन) पिंक बसों का अस्थायी परमिट 03 माह के लिए निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

| क्र0सं0 | प्रतिष्ठान का नाम | वाहन संख्या (पिंक बस) | मार्ग का नाम | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छपरा प्रतिष्ठान | BR01PS-4232 | एकमा–डोरीगंज भाया– दाउदपुर, छपरा, भिखारी चौक | |
| 2 | छपरा प्रतिष्ठान | BR01PS-4248 | माझी–डोरीगंज भाया–रिविलगंज, छपरा, भिखारी चौक | |
| 3 | छपरा प्रतिष्ठान | BR01PS-4251 | भेल्दी–छपरा भाया–कटसा, गरखा, नवाजी टोला | |

चूँकि उक्त अस्थायी परमिट महिलाओं एवं छात्राओं के सुरक्षित एवं सुविधायुक्त परिवहन मुहैया कराने के उद्देश्य से मॉग की गयी है, जो जनहित से संबंधित है। अतः विचारोपरांत उक्त तीनों वाहनों का तीन माह (90 दिनों) के लिए अस्थायी परमिट की स्वीकृति दी जाती है।

नोट:– (1) उपरोक्त कार्यावली सं0–3(i) के क्रमांक 1 से 41 में आवेदित वैसे वाहन, जो पूर्व से परमिट से आवृत है, पर लगाई गई शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त लगाया जाता है कि पूर्व से धारित परमिट का प्रत्यर्पण करने या परमिट प्रत्यर्पण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने के पश्चात एवं लगायी गयी सभी शर्तों का अनुपालन होने व बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही परमिट निर्गमन की कार्रवाई की जायेगी।

(2) सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि कार्यावली संख्या–3(i) के क्रमांक–1 से 41 तक के निर्णय में लगाई गई शर्त एवं उक्त कंडिका (1) में लगाई गई शर्त का अनुपालन दिनांक–05.12.2025 तक अनिवार्य रूप से करते हुए उसकी साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे अन्यथा लगाये गये शर्त का अनुपालन दिनांक–05.12.2025 तक नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि लगाये गये शर्त पर वाहन स्वामी परमिट लेने हेतु इच्छुक नहीं है एवं इस आधार पर आवेदन **Dispose Off** कर **Time Slot Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को निदेश है कि कार्यावाही में वर्णित जिस वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत किया गया है एवं पूर्व से भी उक्त वाहन के पक्ष में कोई वैध परमिट न हो तो वैसे वाहन का परिचालन न किया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करेंगें। अन्यथा जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे वाहनों का परिचालन पाया जायेगा, उनकी जबावदेही तय की जायेगी।

27/11/25
अपर समाहर्ता, सारण (राजस्व)
–सह–
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।

27/11/2025
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

27/11/25

27/11/25
आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।